



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 52 ]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 25 दिसम्बर 2015-पौष 4, शके 1937

### भाग 3 (1)

#### विज्ञापन

#### अन्य सूचनाएं

#### उप-नाम परिवर्तन

सूचित किया जाता है कि मेरा विवाह पूर्व नाम मुमताज बैगम सैयद था. जो कि विवाह उपरान्त मुमताज कुरैशी हो गया है. मेरा विवाह श्री शमीम उद्दीन से दिनांक 09-05-1983 को हुआ था तथा मैं अपने परिवार सहित वार्ड नं. 7 भंडारा गली राजगढ़ पर निवासरत् हूँ.

पुराना नाम :

( मुमताज बैगम सैयद )

नया नाम :

( मुमताज कुरैशी )

(502-बी.)

#### नाम परिवर्तन

मैं, अमोल पिता बंशीलाल पंडीत (नया नाम), निवासी मिलचाल लालबाग, बुरहानपुर मध्यप्रदेश समस्त व्यक्तियों को सूचित करता हूँ कि मेरा पूर्व का नाम "स्नेहल" पिता बंशीलाल पंडीत था. जिसका मैंने पूर्णतः त्याग कर दिया है तथा अब मेरा नाम "अमोल पिता बंशीलाल पंडीत" हो गया है. इसलिये मुझे आज से मेरे नये परिवर्तित नाम "अमोल" से नामोविष्ट तथा संबोधित किया जावे और इसी नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम :

( स्नेहल पिता बंशीलाल पंडीत )

नया नाम :

( अमोल पिता बंशीलाल पंडीत )

(503-बी.)

#### नाम परिवर्तन

मैं, सर्व-साधारण को सूचित करता हूँ कि मेरा पूर्व में नाम राजेन्द्र पिता बंडू निकम, निवासी-ग्राम चापोरा, तहसील व जिला बुरहानपुर (म.प्र.) था. लेकिन मेरा वास्तविक नाम राजाराम पिता बंडू निकम है तथा मैं अपने नाम परिवर्तन के पश्चात् अपने नवीन नाम राजाराम पिता बंडू निकम का ही उपयोग अपने समस्त शासकीय एवं अर्द्धशासकीय अभिलेखों के लिए करूंगा तथा मुझे मेरे नये नाम राजाराम पिता बंडू निकम के नाम से ही जाना एवं पहचाना जावे.

पुराना नाम :

( राजेन्द्र )

पिता-बंडू निकम

नया नाम :

( राजाराम )

पिता-बंडू निकम

निवासी-ग्राम चापोरा, तहसील व  
जिला बुरहानपुर (म.प्र.).

(504-बी.)

### नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, पूरालाल भियान्जा पुत्र श्री गणपतलाल भियान्जा शा. मा. वि. रामाबालोदा संकुल शा. बा. उ. मा. वि. उन्हेल विकासखण्ड खाचरौद, जिला उज्जैन में अध्यापक के पद पर पदस्थ हूँ. मेरे समस्त शालेय एवं शासकीय/अशासकीय एवं सेवा अभिलेखों में मेरा नाम पूरालाल भियान्जा पुत्र श्री गणपतलाल भियान्जा दर्ज चला आ रहा है. मैंने अपना नाम परिवर्तित कर पूरालाल गुजराती पुत्र श्री गणपतलाल गुजराती कर लिया है.

अतः मेरा परिवर्तित नाम पूरालाल गुजराती पुत्र श्री गणपतलाल गुजराती मेरे सेवा अभिलेखों एवं समस्त शासकीय/अशासकीय अभिलेखों में दर्ज किया जाकर पढ़ा जावे व भविष्य में मुझे सभी शासकीय/अशासकीय कार्यों में मेरे परिवर्तित नाम पूरालाल गुजराती पुत्र श्री गणपतलाल गुजराती से ही जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम :

( पूरालाल भियान्जा )

पुत्र-श्री गणपतलाल भियान्जा

(505-बी.)

नया नाम :

( पूरालाल गुजराती )

पुत्र-श्री गणपतलाल गुजराती,  
निवासी-ग्राम नवादा, तहसील नागदा,  
जिला उज्जैन ( म.प्र. ).

### नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मुझे शपथकर्ता का नाम जन्म प्रमाण-पत्र में केशव सिंघल दर्ज है. जिस आधार पर एल. आई. सी. पॉलिसी में भी मेरा नाम केशव सिंघल अंकित है. जबकि मेरे समस्त शैक्षणिक दस्तावेजों में मेरा नाम हिमांशु सिंघल अंकित है.

भविष्य में मुझे हिमांशु सिंघल के नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम :

( केशव सिंघल )

(506-बी.)

नया नाम :

( हिमांशु सिंघल )

पुत्र-श्री रविन्द्र सिंघल,  
निवासी-सिंघल भवन नया बाजार,  
लशकर, ग्वालियर ( म.प्र. ).

### सूचना

हमारी फर्म MINVERA SKILLS जो कि फर्म एवं संस्था इन्दौर में रजिस्टर्ड है, जिसका रजिस्टर्ड नम्बर 03/27/01/0387/15 है. इसका नाम परिवर्तन होकर MINERVA SKILLS हो रहा है.

MINERVA SKILLS

विनीत सक्सेना,

( पार्टनर )

101, Sona Palace,  
15, Baikunthadham Colony  
Indore (M.P.) 452018.

(507-बी.)

### आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि हमारी भागीदारी फर्म मैसर्स महाकाल कन्स्ट्रक्शन कम्पनी जिसका पंजीयन क्रमांक ए. आर. जी./फर्मर्स/43, दिनांक 23-12-2003 है उक्त फर्म के कुछ भागीदार क्रमशः रामनारायण तिवारी, ग्राम कोषण व कैलाश दुबे, ग्राम कोषण, रामबाबू समाधिया, ग्राम भगवंत पुरा सभी थाना सुरपुरा, तहसील अटेर, जिला भिण्ड के निवासी होकर स्वेच्छा से फर्म से पृथक् हो रहे हैं. इस फर्म में दिनांक 31-03-2011 से यह भागीदार पृथक् माने जावे वही फर्म में दो भागीदार शामिल दिनांक 01-04-2011 से किये जा रहे हैं. जिनमें अमित त्रिपाठी नगर पालिका के सामने भिण्ड व उत्तम कुमार चौधरी ग्राम गाती पों. गाती, जिला इटावा उ.प्र. है. इस सूचना के सात दिवस के भीतर यदि किसी संस्था/व्यक्ति या स्वयं भागीदारों को कोई आपत्ति है. तो 155/2, नवादा बाग, भिण्ड संस्था के कार्यालय पर दर्ज करा सकते हैं. सूचना प्रकाशन के सात दिवस बाद कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी.

प्रार्थी

प्रेम कुमार तिवारी,

(508-बी.)

### आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स जय माँ महाकाली कम्पनी, जिसका गठन दिनांक 15-12-2010 को हुआ था. जिसका पंजीकृत कार्यालय जे. आर. डी. कॉम्प्लेक्स, भारौली रोड, भिण्ड एवं शाखा कार्यालय जी. एच. 1543, दीनदयाल नगर, ग्वालियर है. जिसका पंजीयन क्रमांक 02/43/07/00210/10, सन् 2010-2011 दिनांक 24-12-2010 है. फर्म में वर्तमान भागीदार रणधीर सिंह पुत्र श्री बीरेन्द्रसिंह, निवासी भारौली रोड भिण्ड, महेशसिंह भदौरिया पुत्र श्री माधौसिंह भदौरिया, निवासी ग्राम गढ़पारा हाल गांधी रोड मेहगाँव, जिला भिण्ड, अनिल कुमार सिंह पुत्र श्री मुलायम सिंह, निवासी ग्राम गढ़पारा हाल-भारौली रोड भिण्ड, अभिषेकसिंह परमार पुत्र रणधीर सिंह परमार, निवासी भारौली रोड भिण्ड एवं अभिलेख सिंह चौहान पुत्र श्री अनिल कुमार सिंह चौहान, निवासी भारौली रोड भिण्ड हैं.

दिनांक 01-04-2015 से उक्त फर्म में से श्री महेशसिंह भदौरिया पुत्र श्री माधौसिंह भदौरिया, निवासी-ग्राम गढ़पारा हाल गाँधी रोड, मेहगाँव, जिला भिण्ड एवं श्री अभिलेख सिंह चौहान पुत्र श्री अनिल कुमार सिंह चौहान, निवासी भारौली रोड भिण्ड, ने स्वेच्छा से अपनी भागीदारी समाप्त कर दी है.

फर्म में शेष भागीदारों की स्थिति नियम व शर्तें संशोधित भागीदारी पत्रक के अनुसार होंगी.

वास्ते—जय माँ महाकाली कम्पनी,  
द्वारा—रणधीर सिंह,  
(पार्टनर)  
जेआरडी कॉम्प्लेक्स, भारौली रोड,  
भिण्ड (म.प्र.).

(509-बी.)

### आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स डण्डौतिया कन्स्ट्रक्शन कम्पनी, मुरैना स्थित पोलीटेक्निक कॉलेज के सामने, अम्बाह रोड, मुरैना (म.प्र.) जिसका पंजीयन क्रमांक ए. आर. जी./फर्म/79, दिनांक 21-01-2002 है. जिसमें दिनांक 20-11-2015 को श्री सोनेराम शर्मा पुत्र श्री रामेश्वर शर्मा, निवासी फाटक वाहर अम्बाह रोड, मुरैना एवं रवि कुमार शर्मा पुत्र श्री रामेश्वर शर्मा, निवासी फाटक वाहर, अम्बाह रोड, मुरैना तथा भगवान सिंह शर्मा पुत्र श्री मोतीराम शर्मा, निवासी फाटक वाहर, अम्बाह रोड, मुरैना अपनी स्वेच्छा से पृथक् हो गये हैं, आमजन एवं सर्वजन सूचित हों.

फर्म-मैसर्स डण्डौतिया कन्स्ट्रक्शन कम्पनी मुरैना  
रामेश्वर शर्मा,  
(भागीदार)  
पोलीटेक्निक कॉलेज के सामने,  
अम्बाह रोड, मुरैना.

(510-बी.)

### जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है भागीदारी फर्म मे. गायत्री ऐग्रो का विद्यटन (समापन) दिनांक 30-11-2015 से हो गया है.

जिसमें से निम्नलिखित एक भागीदार फर्म से अलग हो रहे हैं फर्म में कुल दो भागीदार थे :-

1. श्री अब्दुल मलिक पिता हाजी अहमद
2. श्री महेश कुमार तोषनीवाल पिता श्री श्रीराम तोषनीवाल

1 दिसम्बर, 2015 से श्री महेश कुमार तोषनीवाल पिता श्री श्रीराम तोषनीवाल एकल स्वामित्व (प्रोप्रायटरशिप) में व्यवसाय संचालित करता रहेगा. जो सनद रहे.

वास्ते:- मे. गायत्री ऐग्रो

अब्दुल मलिक  
(निर्वतमान भागीदार)

वास्ते:- मे. गायत्री ऐग्रो

महेश कुमार तोषनीवाल,  
(प्रोप्रायटर).

(511-बी.)

### आम सूचना

सूचित किया जाता है कि मैसर्स जय श्री राम इन्फ्रास्ट्रक्चर रजिस्ट्रेशन नम्बर 02/42/01/00084/12, सन् 2012-13 दिनांक 26-07-2012 की भागीदारी फर्म से दिनांक 22-09-2014 को श्री सुनील गर्ग पुत्र श्री हरिओम गर्ग एवम् श्री चेतन शर्मा पुत्र श्री परशुराम शर्मा फर्म से अलग हो रहे हैं। उनके स्थान पर श्रीमति कमला शर्मा पत्नी श्री विष्णु दत्त शर्मा फर्म में सम्मिलित हो रही हैं। इसके उपरान्त दिनांक 03-10-2014 को श्री पुनीत रीछारिया पुत्र श्री द्वारिका प्रसाद रीछारिया फर्म से अलग हो रहे हैं तथा उनके स्थान पर श्री वैभव शर्मा पुत्र श्री विष्णु दत्त शर्मा फर्म में सम्मिलित हो रहे हैं। इसके सम्बन्धित अगर किसी को कोई भी आपत्ति हो तो 15 दिन के अंदर निम्नलिखित पते पर सूचित करें।

For: Jai Shree Ram Infrastructure,  
**VAIBHAV SHARMA,**  
(Partner)

9, नेहरू कॉलोनी, थाटीपुर, ग्वालियर.

(512-बी.)

### जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी फर्म मैसर्स योगांश कन्स्ट्रक्शन कम्पनी बी-64, प्रगति विहार, गोला का मंदिर, ग्वालियर म.प्र.ने अपनी साझेदारी फर्म में संशोधन कर साझेदार क्रमांक 2. श्री शरद श्रीवास्तव पुत्र श्री बैजनाथ प्रसाद श्रीवास्तव, उम्र 43 वर्ष, धर्म हिन्दू पता-ए. व्ही. एम. स्कूल के पीछे, फोर्ट रोड, ग्वालियर म.प्र. को दिनांक 26-10-2015 फर्म से अलग किया जा रहा है। अब श्री शरद श्रीवास्तव का इस फर्म से कुछ भी लेना-देना शेष नहीं है एवं शेष बचे हुए साझेदार जो भविष्य में फर्म से सम्बन्धित सभी प्रकार के लेन-देन या अन्य कार्यों में अपने शेयर के मुताबिक जिम्मेदार होंगे और ये फर्म में रहने वाले एवं निकलने वाले सभी साझेदारों को स्वीकार है।

M/s : Yogansh Construction Co.,  
**SHAIENDRA SINGH CHAUHAN,**

(Partner).

(513-बी.)

### आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि हमारी फर्म मे. सुपर ग्रीन ग्रुप के नाम से एक साझेदारी फर्म है, जिसका पंजीयन क्र.04/18/01/00125/13, वर्ष 2013-14 दिनांक 24-08-2013 है।

इस फर्म में दिनांक 19-08-2015 को संशोधन किया गया. जिसके अंतर्गत एक साझेदार वाहिद खान पिता हमीद खान, निवासी भगतसिंह वार्ड, सिवनी, जिला सिवनी स्वेच्छा से फर्म से अलग हो चुके हैं।

अतः दिनांक 19-08-2015 से वाहिद खान की साझेदारी समाप्त मानी जाती है।

सर्व-साधारण को सूचना हेतु.

M/s SUPER GREEN GROUP

फिरोज खान,

(पार्टनर).

(514-बी.)

### आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स- दि प्रभात हॉस्पिटल (यूनिट ऑफ बी. जे. आर. ग्रुप) 01 कलेक्टर बंगला के पीछे, छतरपुर (म.प्र.) जो कि दिनांक 03 अक्टूबर, 2013 को गठित होकर पंजीयन हुई. जिसमें राहुल मिश्रा, रामनारायण गुप्ता, श्रीमती हर्देश धमानिया, अभिषेक मिश्रा, श्रीमती विनीता श्रीवास्तव भागीदार थे. और सभी भागीदारों ने अपनी स्वेच्छा से फर्म से बाहर हो गये और दिनांक 03-10-2015 को फर्म बन्द कर दी है.

सूचनाकर्ता

राहुल मिश्रा,

(भागीदार).

(515-बी.)

### भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 की धारा-72 के अधीन सूचना-पत्र

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स प्रशांत सिंह भदौरिया, 185, इन्द्रा काम्पलेक्स, विदिशा पंजीयन क्रमांक 01/05/01/00010/08, दिनांक 15-04-2008 में श्रीमती कामिनी भदौरिया पत्नी श्री प्रशांत सिंह भदौरिया, निवासी बालाजी एवेन्यू राजीव नगर, विदिशा फर्म की

भागीदारी में दिनांक 16-04-2010 को सम्मिलित हो गयी हैं तथा श्री नारायण सिंह चौहान पुत्र श्री आर. एस. चौहान, निवासी जी-2/267, गुलमोहर कॉलोनी, शहर भोपाल फर्म की भागीदारी से अपनी स्वेच्छा से पृथक् हो गए हैं। उक्त के अतिरिक्त फर्म की भागीदारी में निम्नांकित भागीदार दिनांक 31-03-2015 को सम्मिलित हुए हैं- जिनके नाम क्रमशः 1. श्री प्रशांत सिंह भदौरिया पुत्र श्री उदय कुमार सिंह भदौरिया, निवासी बालाजी ऐवेन्यू राजीव नगर, विदिशा, 2. श्रीमती कामिनी भदौरिया पत्नी श्री प्रशांत भदौरिया, निवासी बालाजी ऐवेन्यू राजीव नगर, विदिशा, 3. श्री अभिषेक सिंह भदौरिया पुत्र श्री उदय कुमार सिंह भदौरिया, निवासी बालाजी ऐवेन्यू राजीव नगर, विदिशा एवं दिनांक 01-04-2015 को श्री प्रशांत सिंह भदौरिया पुत्र श्री उदय कुमार सिंह भदौरिया अपनी स्वेच्छा से फर्म की भागीदारी से पृथक् हो गए हैं। फर्म का पूर्व में 185 इन्द्रा काम्पलेक्स विदिशा पता था जो कि अब दिनांक 01-04-2015 में पंचकुटी मेन रोड हाउसिंग बोर्ड, कॉलोनी, बार्ड नं. 39 विदिशा हो गया है।

एच. एन. सेन,

(एडवोकेट)

विदिशा रजि. म.प्र./3949/2010.

मोबा. नं. 9770407955.

(516-बी.)

## विविध

### न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ), मन्दसौर

दिनांक 25 जून, 2015

प्र. क्र. 03/बी-13(1)/2014-15.

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-5 (2) लोक न्यास नियम, 1962-5]

1. पंजीयक, लोक न्यास, मंदसौर, जिला मंदसौर के समक्ष श्री कृष्णानंद जी सेन गुजराती समाज, पारख कॉलोनी, मंदसौर, जिला मंदसौर (म.प्र.).
2. चूंकि श्री कृष्णानंद जी सेन, गुजराती समाज, पारख कॉलोनी, मंदसौर, जिला मंदसौर (म.प्र.) द्वारा मुख्य न्यासधारी- श्री दिनेश पिता कन्हैयालाल जी परमार, आयु-35 वर्ष, निवासी-पारख कॉलोनी, मंदसौर, रामप्रसाद पिता कन्हैयालाल जी चौहान, आयु-51 वर्ष, निवासी-मेन रोड, शामगढ़, जिला मंदसौर, ओमप्रकाश पिता रघुनाथ जी खिची, आयु-50 वर्ष, निवासी-कालीदास मार्ग, मंदसौर ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई सम्पत्ति के तथा न्यास के पंजीयन के लिए आवेदन किया है। एतद्वारा सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 12 अगस्त, 2015 को विचार के लिए लिया जावेगा।
3. कोई व्यक्ति उक्त न्यास या अन्यास सम्पत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में आपत्ति करने या सुझाव देने का अधिकार रखता हो और इस सूचना लोक न्यास के और उसका गठन करती है।
4. अतः मैं, सुश्री अंजली द्विवेदी, पंजीयक, लोक न्यास, मन्दसौर, जिला मन्दसौर का लोक न्यास का पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 12 अगस्त, 2015 को अधिनियम की धारा-5 की उपधारा 1 तथा धारा-4 के द्वारा अपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूँ। अतः एतद्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से नियत पेशी दिनांक के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करें और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या व्यक्तिशः अथवा अभिभाषक के द्वारा उपस्थित होना चाहिये। उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिये ग्रहण नहीं किया जावेगा।

**सम्पत्ति का विवरण :-** ट्रस्ट की सभी चल, अचल सम्पत्तियां ट्रस्ट के अधिकार व आधिपत्य में होकर जिनमें स्वत्व विलेख की छायाप्रतियां संलग्न हैं जो निम्न प्रकार हैं:-

1. अचल सम्पत्ति:-कस्बा मंदसौर स्थित सर्वे क्रमांक-814, रकबा-0.042 आरी स्थित है, जो यह भूमि सेन छात्रावास मण्डल की भूमि है।
2. चल सम्पत्ति:-वर्तमान में कुछ नहीं।
5. लोक न्यास का नाम श्री कृष्णानंद जी सेन, गुजराती समाज, पारख कॉलोनी, मंदसौर, जिला मंदसौर (म.प्र.).

अंजली द्विवेदी,

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

**न्यायालय पंजीयक, सार्वजनिक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ), बैतूल**

प्रारूप-4

[ देखें नियम 5 (1) ]

[ मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-30 और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम-1962 के नियम-5 (1) के द्वारा ]

यह कि अध्यक्ष श्री 1008 भगवान चन्द्रप्रभ दिगम्बर जैन मंदिर समिति कोठी बाजार, बैतूल ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा के अन्तर्गत एवं आवेदन अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के लिये लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया गया है, एतद्वारा सूचना-पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन-पत्र पर 2015 के माह दिसम्बर के 30 दिवस पर मेरे न्यायालय में विचार में लिया जावेगा.

किसी आपत्ति या सुझाव को कहने का आशय रखते हुए कथित न्यास या सम्पत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को सूचना-पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिये उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जावेगा.

**अनुसूची**

(लोक न्यास का नाम व पता व सम्पत्ति का वर्णन)

न्यास का नाम व पता : श्री 1008 भगवान चन्द्रप्रभ दिगम्बर जैन मंदिर समिति  
कोठी बाजार, बैतूल मध्यप्रदेश.

सम्पत्ति का विवरण.—

चल सम्पत्ति-50,000/- ( पचास हजार) केवल.

संजीव केशव पाण्डेय,

पंजीयक एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.).

(650)

**न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट ( शहर ) रतलाम**

क्र. /बी-113/2015-5.

रतलाम, दिनांक 4 दिसम्बर, 2015

फॉर्म-4

[नियम-5 (1) देखिये]

[ मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 की धारा-4 (2) के तहत ]

क्र. 01/आर-3/15.—आवेदक श्री ओम प्रकाश पिता श्री कस्तूरचंद्रजी चौहान- अध्यक्ष, निवासी—48 ए, वेद व्यास, कॉलोनी, रतलाम द्वारा मध्यप्रदेश के द्वारा मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-4 के अन्तर्गत " श्री राम मंदिर न्या. गुजराती लौहार समाज ट्रस्ट बोर्ड रतलाम" के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है, जिसकी सुनवाई दिनांक 30 दिसम्बर, 2015 को की जावेगी.

2. अतएव जिस किसी भी व्यक्ति को ट्रस्ट या उसकी सम्पत्ति के प्रति रुचि हो, प्रकरण में नियत दिनांक 30 दिसम्बर, 2015 को इस न्यायालय में अपने लिखित वक्तव्य की प्रतियां प्रस्तुत करें और स्वयं या अपने अधिवक्ता अथवा एजेंट के द्वारा प्रातः 11.00 बजे नियत दिनांक को उपस्थित हों. निर्धारित समय समाप्त होने पर प्रस्तुत आवेदन-पत्र पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

( पब्लिक ट्रस्ट का नाम, पता तथा सम्पत्ति का विवरण )

न्यास का पूरा नाम : " श्री राम मंदिर न्या. गुजराती लौहार समाज ट्रस्ट बोर्ड रतलाम"  
अचल सम्पत्ति : सूची अनुसार भगवान की रकम. मंदिर के वर्तन की सूची.  
चल सम्पत्ति : 88424/- (विजया बैंक रतलाम) में जमा.

सूनील झा,  
रजिस्ट्रार.

(651)

## अन्य सूचनाएं

### कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, पूर्व ( सा. ), वनमण्डल, मण्डला

**प्रकरण का विवरण :-** परिक्षेत्र बिछिया अंतर्गत बीट दानीटोला में मार्किंग हेमर, निम्नानुसार आकृति का प्रदाय किया गया था, जिसे परिक्षेत्र अधिकारी द्वारा श्री. अनिल कुमार परते, वनरक्षक परिसर प्रभारी दानीटोला को विभागीय कार्य क्रियान्वयन हेतु प्रदाय किया गया था. परिक्षेत्र अधिकारी बिछिया के पत्र क्रमांक/693, दिनांक 13 मई, 2015 से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार वनरक्षक की लापरवाही से हेमर गुमा देने की सूचना प्राप्त हुई है. उक्त पत्र में संलग्न रिपोर्ट के अनुसार वनरक्षक श्री अनिल कुमार परते, द्वारा थाना प्रभारी बिछिया को उक्त गुमशुदा हेमर की सूचना दिनांक 13 मई, 2015 को दी गई.

### आदेश

आदेश क्रमांक/284.

मंडला, दिनांक 04 जुलाई, 2015

वन वित्तीय नियम, 124 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए निम्नांकित आकृति का 1 नग मार्किंग हेमर भण्डार से अपलेखित करने एवं हेमर के पुस्तकीय मूल्य रुपये 97/- वसूल करने का आदेश दिया जाता है. किन्हीं भी व्यक्ति द्वारा अंकित आकृति के हेमर का उपयोग करते हुए पाये जाने पर अवैधानिक होगा. उपरोक्त हेमर किसी व्यक्ति को मिले तो वे तत्काल निकटवर्ती पुलिस थाने या अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में जमा करें.



इस विज्ञप्ति के पश्चात् यदि कोई व्यक्ति के द्वारा उक्त हेमर गुम दिनांक से अनाधिकृत रूप से रखने या प्रयोग में लाते हुए पाया गया तो उसके विरुद्ध दण्ड विधान के अनुसार कार्यवाही की जावेगी.

(656)

लालजी मिश्रा,  
वनमण्डलाधिकारी.

### कार्यालय उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्था मर्या., जिला इन्दौर

इंदौर, दिनांक 07 नवम्बर, 2015

क्र./परि./15/5510.—मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत वास्तु ट्रांसपोर्ट नगर को-आपरेटिव्ह गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर जिसका पंजीयन क्र./डी.आर./आय.डी.आर./671ए, दिनांक 15 मई, 1997 है, को इस कार्यालय के आदेश क्र./145, दिनांक 07 जनवरी, 2005 द्वारा परिसमापन में लाया जाकर श्री ए. के. जैन, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था. तत्पश्चात् संशोधित आदेशानुसार श्री व्ही. के. उपरीत, सहकारी निरीक्षक, वर्तमान में श्री राजेश मालवीय, उप-अंकेक्षक, को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

संस्था के सदस्यों के आवेदन प्राप्ति के पश्चात् परिसमापक द्वारा संस्था की आमसभा बुलाई गयी एवं सभा में उपस्थित सदस्यों के सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित किये जाने पर कि संस्था का विगत वर्षों का अंकेक्षण न होने के कारण परिसमापन में लाया गया एवं संस्था के उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिये उसे पुनर्जीवित किया जाना आवश्यक है, परिसमापक द्वारा संस्था को पुनर्जीवित किये जाने हेतु प्रस्ताव कार्यालय में प्रस्तुत किया गया.

संस्था परिसमापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन में वर्णित किया गया कि दिनांक 05 नवम्बर, 2015 को संस्था की वार्षिक साधारण सभा में संस्था के समस्त सदस्यों (उपस्थित) द्वारा संस्था को पुनर्जीवित करने हेतु सहमति व्यक्त की है. परिसमापक द्वारा अवगत कराया है कि संस्था के बहुसंख्यक सदस्यों के हित में संस्था को पुनर्जीवित करने का अनुरोध इस आधार पर किया गया है कि संस्था के वर्तमान एवं नवीन बनने वाले सदस्य संस्था के बहुसंख्यक सदस्यों द्वारा संस्था के पुनर्जीवित करने की उक्तानुसार मांग की गई है अतः संस्था के हित में संस्था का अस्तित्व में बना रहना उचित है. उपरोक्त के प्रकाश में संस्था को पुनर्जीवित किया जाना संस्था सदस्यों के हित में है.

अतः मैं, राजेश क्षत्री, उपायुक्त सहकारिता, जिला इंदौर, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99/पंद्रह-1-सी, भोपाल दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वास्तु ट्रांसपोर्ट नगर को-आपरेटिव्ह गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर का परिसमापन आदेश क्र./145, दिनांक 07 जनवरी, 2005 मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) की शक्तियों का प्रयोग

करते हुए निरस्त करता हूँ तथा संस्था कार्य संचालन के लिये संस्था सदस्यों में से श्रीमती सतनाम कौर को कमेटी प्रभारी एवं श्री महेश तोफीलाल शर्मा, कमेटी सहायक की दो सदस्यीय कमेटी गठित करता हूँ. कमेटी को निर्देशित किया जाता है कि तीन माह की समयवधि में संस्था के लम्बित वर्षों का अंकेक्षण अनिवार्य रूप से पूर्ण करावें एवं संस्था के संचालक मण्डल के निर्वाचन सम्पन्न करवाकर निर्वाचित कार्यकारिणी का गठन करावें.

यह आदेश आज दिनांक 07 नवम्बर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(645)

राजेश क्षत्री,  
उप-आयुक्त सहकारिता.

### कार्यालय परिसमापक, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद

होशंगाबाद, दिनांक 09 सितम्बर, 2015

(मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम के नियम-57 के अन्तर्गत)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत निम्नांकित समितियों को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापक नियुक्ति किये जाने का आदेश क्रमांक एवं दिनांक
1	2	3	4
1.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था, खापरखेडा	2199/30-07-1983	क्र./परि./182/30-01-2015
2.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था, भिलाडिया	2145/06-10-1982	क्र./परि./182/30-01-2015
3.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था, ठैनी	2256/31-10-1987	क्र./परि./182/30-01-2015
4.	ताज महिला सहकारी साख सहकारी समिति बनखेडी	82/30-10-2006	क्र./परि./182/30-01-2015
5.	आदर्श महिला सहकारी समिति मर्या., इटारसी	30/22-02-2003	क्र./परि./182/30-01-2015
6.	बालाजी सहकारी साख समिति मर्या., इटारसी	65/16-05-2005	क्र./परि./182/30-01-2015
7.	गुरु कृपा साख सहकारी समिति मर्या., होशंगाबाद	2915/28-02-2007	क्र./परि./337/07-03-2015
8.	योगेश्वरी साख सहकारी समिति मर्या., होशंगाबाद	2912/28-02-2007	क्र./परि./337/07-03-2015
9.	शुभम् साख सहकारी समिति मर्या., होशंगाबाद	2914/28-02-2007	क्र./परि./337/07-03-2015
10.	पं. दीनदयाल परिवहन सह. समिति मर्या., होशंगाबाद	2901/17-11-2006	क्र./परि./337/07-03-2015

अतः मध्यप्रदेश सहकारी समितियों के नियम-1962 के नियम-57 के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के दिनांक से दो माह के अन्तर्गत मय प्रमाण-पत्र के यदि हो तो मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में सदस्यगण/साहूकारगण किसी भी लाभ के बटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे यदि दो माह की अवधि में किसी भी दावेदार द्वारा कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा. संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखा संबंधित समस्त दायित्व स्वमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यह सूचना आज दिनांक 09 सितम्बर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई.

(646)

डी. एस. दुबे,  
परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

### कार्यालय परिसमापक एवं उप-अंकेक्षक, सहकारी समितियाँ, जिला देवास

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

उप/सहायक पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला देवास द्वारा निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1)



के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है :-

क्रमांक	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन क्रमांक/दिनांक
1.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., चापडा	400/10-10-1987	153/27-01-2015
2.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कुसमानिया	502/31-03-1983	361/03-03-2015
3.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., जामगोद	353/28-08-2008	362/03-03-2015

सहकारी अधिनियम की धारा-71 (1) के अंतर्गत परिसमापन दिनांक से संस्थाओं की समस्त आस्तियां परिसमापक में वेष्टित हो गई हैं। अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत उक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध दावों को इस सूचना-पत्र के जारी करने के दिनांक से 60 दिवस के अंदर मय प्रमाण के यदि कोई हो, तो लिखित रूप से मेरे कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं ए. बी. रोड, देवास में कार्यालयीन दिवसों से दोपहर 12.00 बजे से 2.00 बजे तक प्रस्तुत करें। त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे। समयावधि उपरांत उनकी कोई दावे एवं आपत्तियां मान्य नहीं होंगी तथा संस्थाओं की लेखापुस्तकों में लेखाबद्ध दायित्व स्वयमेव मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख या आस्तियां, डेड स्टॉक संस्था का रिकॉर्ड किसी के पास हो, तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौंपे यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियों या अभिलेख एवं रिकॉर्ड, डेड स्टॉक नहीं सौंपे गये हैं तो सम्बंधित के विरुद्ध उनकी बसूलने हेतु विधिवत् वैधानिक कार्यवाही की जावेगी। जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी सम्बन्धित की रहेगी।

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख एवं आस्तियां समस्त प्रयासों के बावजूद भी प्राप्त नहीं होती हैं तो दावेदारों/साहूकारों/सदस्यों के दावे आपत्तियों का निराकरण गत वर्षों के वित्तीय पत्रकों में दर्शाई गई लेनदारी एवं देनदारी की प्रविष्टियां बोगस/शून्यकाल मानकर तदानुसार पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जावेगी।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 10 जुलाई, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की गई है।

(652)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

उप/सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला देवास द्वारा निम्नलिखित सहकारी संस्था को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है :-

क्रमांक	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन क्रमांक/दिनांक
1.	श्री नाथ बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सोनकच्छ	25/04-02-2014	349/03-03-2015

सहकारी अधिनियम की धारा-71 (1) के अंतर्गत परिसमापन दिनांक से संस्था की समस्त आस्तियां परिसमापक में वेष्टित हो गई हैं। अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत उक्त सहकारी संस्था के विरुद्ध दावों को इस सूचना-पत्र के जारी करने के दिनांक से 60 दिवस के अंदर मय प्रमाण के यदि कोई हो, तो लिखित रूप से मेरे कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं ए. बी. रोड, देवास में कार्यालयीन दिवसों से दोपहर 12.00 बजे से 2.00 बजे तक प्रस्तुत करें। त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे। समयावधि उपरांत उनकी कोई दावे एवं आपत्तियां मान्य नहीं होंगी तथा संस्था की लेखापुस्तकों में लेखाबद्ध दायित्व स्वयमेव मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यदि उक्त संस्था के अभिलेख या आस्तियां, डेड स्टॉक, संस्था का रिकॉर्ड किसी के पास हो, तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौंपे यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियों या अभिलेख एवं रिकॉर्ड, डेड स्टॉक नहीं सौंपे गये हैं तो सम्बंधित के विरुद्ध उनकी बसूलने हेतु विधिवत् वैधानिक कार्यवाही की जावेगी। जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी सम्बन्धित की रहेगी।

यदि उक्त संस्था के अभिलेख एवं आस्तियां समस्त प्रयासों के बावजूद भी प्राप्त नहीं होती हैं तो दावेदारों/साहूकारों/सदस्यों के दावे आपत्तियों का निराकरण गत वर्षों के वित्तीय पत्रकों में दर्शाई गई लेनदारी एवं देनदारी की प्रविष्टियां बोगस/शून्यकाल मानकर तदानुसार पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जावेगी।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 10 जुलाई, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की गई है।

डी. के. आर्य,

परिसमापक एवं उप अंकेक्षक.

(652-A)

## कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, छिन्दवाड़ा

छिन्दवाड़ा, दिनांक 11 अगस्त, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) एवं धारा-53 (12) के अन्तर्गत]

क्र./उपंछि/परि./2015/1471.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/उपंछि/परिसमापन/2015/631, दिनांक 23 मार्च, 2015 के द्वारा लक्ष्मी बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., गुरैया ( जिसे आगे सोसायटी कहा गया है ) पंजीयन क्रमांक/डी.आर./सी.डब्ल्यू.ए./877, दिनांक 10 जनवरी, 2014 को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई है। वर्तमान परिसमापक श्री एम. एल. चौकसे, सहकारिता विस्तार अधिकारी, छिन्दवाड़ा द्वारा उक्त सोसायटी को पुनर्जीवित करने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

सोसायटी के सदस्यों ने दिनांक 31 जुलाई, 2015 को आयोजित विशेष आमसभा में सोसायटी एवं सदस्य हित में सोसायटी को पुनर्जीवित करने का प्रस्ताव पारित किया है, इस आधार पर सोसायटी के परिसमापक श्री एम. एल. चौकसे, सहकारिता विस्तार अधिकारी, छिन्दवाड़ा ने अपने प्रतिवेदन में सोसायटी को पुनर्जीवित करने की अनुशंसा की है।

अतः मैं, कु. अनीता उइके, उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, छिन्दवाड़ा मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) के अंतर्गत सोसायटी को परिसमापन में लाने एवं परिसमापक की नियुक्ति के कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंछि/परिसमापन/631, दिनांक 23 मार्च, 2015 को निरस्त करती हूँ एवं विशेष आमसभा में लिये गये निर्णय अनुसार नामांकित कमेटी को ही निर्वाचन सम्पन्न होने तक नामांकित करती हूँ जो निम्नानुसार है:—

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1. श्री राजेश कोल्हे      | अध्यक्ष   |
| 2. श्री दिवाकर ओक्टे      | उपाध्यक्ष |
| 3. श्रीमति शांति भार्गव   | संचालक    |
| 4. श्री चंद्रप्रकाश ओक्टे | संचालक    |
| 5. श्री खेमचंद विश्वकर्मा | संचालक    |

उक्त नामांकित कमेटी तीन माह की अवधि में निर्वाचन करवाकर नवनिर्वाचित कमेटी की सूचना इस कार्यालय को आवश्यक रूप से प्रेषित करेगी। यह आदेश आज दिनांक 11 अगस्त, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया गया।

अनीता उइके,  
उप-पंजीयक.

(653)

## कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला मुरैना

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक/प्रभारी अधिकारी,  
दुग्ध उत्पादक सह. संस्था मर्या., पचेखा,  
तहसील कैलारस, जिला मुरैना.

यह कि दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पचेखा जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./एम.एन.ए./774, दिनांक 30 जून, 1988 जिसे आगे संस्था कहा गया है के सम्बन्ध में निम्नानुसार आरोप हैं:—

1. संस्था द्वारा पंजीकरण आदेश में दर्शित समयावधि में अपना कार्य करना प्रारम्भ नहीं किया है।
2. संस्था ने कार्य करना बंद कर दिया है।
3. संस्था केवल व्यक्ति विशेष या व्यक्ति समूह शेष के हित सम्बन्धों के लिये कार्य करती है तथा साधारण समस्त सदस्यों के हित सम्बन्धन के लिये कार्य नहीं करती है।
4. संस्था के अधिनियम, नियम तथा संस्था की उपविधि का पालन करना बंद कर दिया है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना

क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-बी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मैं, आर. के. वाजपेयी, उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला मुरैना यह कारण बताओ सूचना-पत्र के जरिये सूचित करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था अधिनियम की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जावे।

इस बावत् में दिनांक 12 अक्टूबर, 2015 तक लिखित में ठोस साक्ष्य सहित इस कार्यालय में उत्तर प्रस्तुत करें निर्धारित अवधि में उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो यह मानकर कि इस सम्बन्ध में आपको कुछ नहीं कहना है तथा उक्त आरोप स्वीकार हैं प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 सितम्बर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(654)

#### कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक/प्रभारी अधिकारी,  
दुग्ध उत्पादक सह. संस्था मर्या., लंगडिया,  
तहसील अम्बाह, जिला मुरैना.

यह कि दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., लंगडिया जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./एम.एन.ए./1184, दिनांक 31 जनवरी, 1982 जिसे आगे संस्था कहा गया है के सम्बन्ध में निम्नानुसार आरोप हैं:-

1. संस्था द्वारा पंजीकरण आदेश में दर्शित समयावधि में अपना कार्य करना प्रारम्भ नहीं किया है।
2. संस्था ने कार्य करना बंद कर दिया है।
3. संस्था केवल व्यक्ति विशेष या व्यक्ति समूह शेष के हित सम्बन्धों के लिये कार्य करती है तथा साधारण समस्त सदस्यों के हित सम्बन्धन के लिये कार्य नहीं करती है।
4. संस्था के अधिनियम, नियम तथा संस्था की उपविधि का पालन करना बंद कर दिया है।

अंत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-बी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मैं, आर. के. वाजपेयी, उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला मुरैना यह कारण बताओ सूचना-पत्र के जरिये सूचित करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था अधिनियम की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जावे।

इस बावत् में दिनांक 12 अक्टूबर, 2015 तक लिखित में ठोस साक्ष्य सहित इस कार्यालय में उत्तर प्रस्तुत करें निर्धारित अवधि में उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो यह मानकर कि इस सम्बन्ध में आपको कुछ नहीं कहना है तथा उक्त आरोप स्वीकार हैं प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 सितम्बर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(654-A)

#### कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक/प्रभारी अधिकारी,  
दुग्ध उत्पादक सह. संस्था मर्या., इकहरा,  
तहसील अम्बाह, जिला मुरैना.

यह कि दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., इकहरा जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./एम.एन.ए./1179, दिनांक 18 जनवरी, 2002 जिसे आगे संस्था कहा गया है के सम्बन्ध में निम्नानुसार आरोप हैं:-

1. संस्था द्वारा पंजीकरण आदेश में दर्शित समयावधि में अपना कार्य करना प्रारम्भ नहीं किया है।
2. संस्था ने कार्य करना बंद कर दिया है।
3. संस्था केवल व्यक्ति विशेष या व्यक्ति समूह शेष के हित सम्बन्धों के लिये कार्य करती है तथा साधारण समस्त सदस्यों के हित सम्बन्धन के लिये कार्य नहीं करती है।
4. संस्था के अधिनियम, नियम तथा संस्था की उपविधि का पालन करना बंद कर दिया है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-बी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मैं, आर. के. वाजपेयी, उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला मुरैना यह कारण बताओ सूचना-पत्र के जरिये सूचित करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था अधिनियम की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जावे.

इस बावत् में दिनांक 12 अक्टूबर, 2015 तक लिखित में ठोस साक्ष्य सहित इस कार्यालय में उत्तर प्रस्तुत करें निर्धारित अवधि में उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो यह मानकर कि इस सम्बन्ध में आपको कुछ नहीं कहना है तथा उक्त आरोप स्वीकार हैं प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 सितम्बर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(654-B)

### कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक/प्रभारी अधिकारी,

दुग्ध उत्पादक सह. संस्था मर्या., रानपुर,

तहसील अम्बाह, जिला मुरैना.

यह कि दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रानपुर जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./एम.एन.ए./449, दिनांक 21 अक्टूबर, 1980 जिसे आगे संस्था कहा गया है के सम्बन्ध में निम्नानुसार आरोप हैं:-

1. संस्था द्वारा पंजीकरण आदेश में दर्शित समयावधि में अपना कार्य करना प्रारम्भ नहीं किया है.
2. संस्था ने कार्य करना बंद कर दिया है.
3. संस्था केवल व्यक्ति विशेष या व्यक्ति समूह शेष के हित सम्बन्धों के लिये कार्य करती है तथा साधारण समस्त सदस्यों के हित सम्बन्धन के लिये कार्य नहीं करती है.
4. संस्था के अधिनियम, नियम तथा संस्था की उपविधि का पालन करना बंद कर दिया है.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-बी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मैं, आर. के. वाजपेयी, उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला मुरैना यह कारण बताओ सूचना-पत्र के जरिये सूचित करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था अधिनियम की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जावे.

इस बावत् में दिनांक 12 अक्टूबर, 2015 तक लिखित में ठोस साक्ष्य सहित इस कार्यालय में उत्तर प्रस्तुत करें निर्धारित अवधि में उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो यह मानकर कि इस सम्बन्ध में आपको कुछ नहीं कहना है तथा उक्त आरोप स्वीकार हैं प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 सितम्बर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(654-C)

### कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक/प्रभारी अधिकारी,

दुग्ध उत्पादक सह. संस्था मर्या., मामचौन,

तहसील कैलारस, जिला मुरैना.

यह कि दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मामचौन जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./एम.एन.ए./705, दिनांक 07 नवम्बर, 1987 जिसे आगे संस्था कहा गया है के सम्बन्ध में निम्नानुसार आरोप हैं:-

1. संस्था द्वारा पंजीकरण आदेश में दर्शित समयावधि में अपना कार्य करना प्रारम्भ नहीं किया है.

2. संस्था ने कार्य करना बंद कर दिया है.
3. संस्था केवल व्यक्ति विशेष या व्यक्ति समूह शेष के हित सम्बन्धों के लिये कार्य करती है तथा साधारण समस्त सदस्यों के हित सम्बन्धन के लिये कार्य नहीं करती है.
4. संस्था के अधिनियम, नियम तथा संस्था की उपविधि का पालन करना बंद कर दिया है.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-बी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मैं, आर. के. वाजपेयी, उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला मुरैना यह कारण बताओ सूचना-पत्र के जरिये सूचित करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था अधिनियम की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जावे.

इस बावत् में दिनांक 12 अक्टूबर, 2015 तक लिखित में ठोस साक्ष्य सहित इस कार्यालय में उत्तर प्रस्तुत करें निर्धारित अवधि में उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो यह मानकर कि इस सम्बन्ध में आपको कुछ नहीं कहना है तथा उक्त आरोप स्वीकार हैं प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 सितम्बर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(654-D)

#### कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक/प्रभारी अधिकारी,  
दुग्ध उत्पादक सह. संस्था मर्या., लहरा,  
तहसील कैलारस, जिला मुरैना.

यह कि दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., लहरा जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./एम.एन.ए./709, दिनांक 07 नवम्बर, 1987 जिसे आगे संस्था कहा गया है के सम्बन्ध में निम्नानुसार आरोप हैं:-

1. संस्था द्वारा पंजीकरण आदेश में दर्शित समयावधि में अपना कार्य करना प्रारम्भ नहीं किया है.
2. संस्था ने कार्य करना बंद कर दिया है.
3. संस्था केवल व्यक्ति विशेष या व्यक्ति समूह शेष के हित सम्बन्धों के लिये कार्य करती है तथा साधारण समस्त सदस्यों के हित सम्बन्धन के लिये कार्य नहीं करती है.
4. संस्था के अधिनियम, नियम तथा संस्था की उपविधि का पालन करना बंद कर दिया है.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-बी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मैं, आर. के. वाजपेयी, उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला मुरैना यह कारण बताओ सूचना-पत्र के जरिये सूचित करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था अधिनियम की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जावे.

इस बावत् में दिनांक 12 अक्टूबर, 2015 तक लिखित में ठोस साक्ष्य सहित इस कार्यालय में उत्तर प्रस्तुत करें निर्धारित अवधि में उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो यह मानकर कि इस सम्बन्ध में आपको कुछ नहीं कहना है तथा उक्त आरोप स्वीकार हैं प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 सितम्बर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(654-E)

#### कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक/प्रभारी अधिकारी,  
दुग्ध उत्पादक सह. संस्था मर्या., सागोरिया,  
तहसील कैलारस, जिला मुरैना.

यह कि दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सागोरिया जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./एम.एन.ए./843, दिनांक 07 नवम्बर, 1989

जिसे आगे संस्था कहा गया है के सम्बन्ध में निम्नानुसार आरोप हैं:-

1. संस्था द्वारा पंजीकरण आदेश में दर्शित समयावधि में अपना कार्य करना प्रारम्भ नहीं किया है.
2. संस्था ने कार्य करना बंद कर दिया है.
3. संस्था केवल व्यक्ति विशेष या व्यक्ति समूह शेष के हित सम्बन्धों के लिये कार्य करती है तथा साधारण समस्त सदस्यों के हित सम्बर्धन के लिये कार्य नहीं करती है.
4. संस्था के अधिनियम, नियम तथा संस्था की उपविधि का पालन करना बंद कर दिया है.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-बी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मैं, आर. के. वाजपेयी, उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला मुरैना यह कारण बताओ सूचना-पत्र के जरिये सूचित करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था अधिनियम की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जावे.

इस बावत् में दिनांक 12 अक्टूबर, 2015 तक लिखित में ठोस साक्ष्य सहित इस कार्यालय में उत्तर प्रस्तुत करें निर्धारित अवधि में उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो यह मानकर कि इस सम्बन्ध में आपको कुछ नहीं कहना है तथा उक्त आरोप स्वीकार हैं प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 सितम्बर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(654-F)

#### कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक/प्रभारी अधिकारी,

दुग्ध उत्पादक सह. संस्था मर्या., तिलोजरी,

तहसील कैलारस, जिला मुरैना.

यह कि दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., तिलोजरी जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./एम.एन.ए./708, दिनांक 07 नवम्बर, 1987 जिसे आगे संस्था कहा गया है के सम्बन्ध में निम्नानुसार आरोप हैं:-

1. संस्था द्वारा पंजीकरण आदेश में दर्शित समयावधि में अपना कार्य करना प्रारम्भ नहीं किया है.
2. संस्था ने कार्य करना बंद कर दिया है.
3. संस्था केवल व्यक्ति विशेष या व्यक्ति समूह शेष के हित सम्बन्धों के लिये कार्य करती है तथा साधारण समस्त सदस्यों के हित सम्बर्धन के लिये कार्य नहीं करती है.
4. संस्था के अधिनियम, नियम तथा संस्था की उपविधि का पालन करना बंद कर दिया है.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-बी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मैं, आर. के. वाजपेयी, उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला मुरैना यह कारण बताओ सूचना-पत्र के जरिये सूचित करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था अधिनियम की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जावे.

इस बावत् में दिनांक 12 अक्टूबर, 2015 तक लिखित में ठोस साक्ष्य सहित इस कार्यालय में उत्तर प्रस्तुत करें निर्धारित अवधि में उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो यह मानकर कि इस सम्बन्ध में आपको कुछ नहीं कहना है तथा उक्त आरोप स्वीकार हैं प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 सितम्बर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(654-G)

#### कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक/प्रभारी अधिकारी,

दुग्ध उत्पादक सह. संस्था मर्या., दोहरेटा,

तहसील कैलारस, जिला मुरैना.

यह कि दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., दोहरेटा जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./एम.एन.ए./1187, दिनांक 12 अप्रैल, 1982

जिसे आगे संस्था कहा गया है के सम्बन्ध में निम्नानुसार आरोप हैं:-

1. संस्था द्वारा पंजीकरण आदेश में दर्शित समयावधि में अपना कार्य करना प्रारम्भ नहीं किया है.
2. संस्था ने कार्य करना बंद कर दिया है.
3. संस्था केवल व्यक्ति विशेष या व्यक्ति समूह शेष के हित सम्बन्धों के लिये कार्य करती है तथा साधारण समस्त सदस्यों के हित सम्बन्धन के लिये कार्य नहीं करती है.
4. संस्था के अधिनियम, नियम तथा संस्था की उपविधि का पालन करना बंद कर दिया है.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-बी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मैं, आर. के. वाजपेयी, उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला मुरैना यह कारण बताओ सूचना-पत्र के जरिये सूचित करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था अधिनियम की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जावे.

इस बावत् में दिनांक 12 अक्टूबर, 2015 तक लिखित में ठोस साक्ष्य सहित इस कार्यालय में उत्तर प्रस्तुत करें निर्धारित अवधि में उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो यह मानकर कि इस सम्बन्ध में आपको कुछ नहीं कहना है तथा उक्त आरोप स्वीकार हैं प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 सितम्बर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(654-H)

#### कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक/प्रभारी अधिकारी,  
दुग्ध उत्पादक सह. संस्था मर्या., दौनारी,  
तहसील जौरा, जिला मुरैना.

यह कि दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., दौनारी जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./एम.एन.ए./967, दिनांक 27 अक्टूबर, 1993 जिसे आगे संस्था कहा गया है के सम्बन्ध में निम्नानुसार आरोप हैं:-

1. संस्था द्वारा पंजीकरण आदेश में दर्शित समयावधि में अपना कार्य करना प्रारम्भ नहीं किया है.
2. संस्था ने कार्य करना बंद कर दिया है.
3. संस्था केवल व्यक्ति विशेष या व्यक्ति समूह शेष के हित सम्बन्धों के लिये कार्य करती है तथा साधारण समस्त सदस्यों के हित सम्बन्धन के लिये कार्य नहीं करती है.
4. संस्था के अधिनियम, नियम तथा संस्था की उपविधि का पालन करना बंद कर दिया है.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-बी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मैं, आर. के. वाजपेयी, उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला मुरैना यह कारण बताओ सूचना-पत्र के जरिये सूचित करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था अधिनियम की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जावे.

इस बावत् में दिनांक 12 अक्टूबर, 2015 तक लिखित में ठोस साक्ष्य सहित इस कार्यालय में उत्तर प्रस्तुत करें निर्धारित अवधि में उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो यह मानकर कि इस सम्बन्ध में आपको कुछ नहीं कहना है तथा उक्त आरोप स्वीकार हैं प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 सितम्बर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(654-I)

#### कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक/प्रभारी अधिकारी,  
दुग्ध उत्पादक सह. संस्था मर्या., गोठ,  
तहसील अम्बाह, जिला मुरैना.

यह कि दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., गोठ जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./एम.एन.ए./450, दिनांक 21 अक्टूबर, 1980

जिसे आगे संस्था कहा गया है के सम्बन्ध में निम्नानुसार आरोप हैं:-

1. संस्था द्वारा पंजीकरण आदेश में दर्शित समयावधि में अपना कार्य करना प्रारम्भ नहीं किया है.
2. संस्था ने कार्य करना बंद कर दिया है.
3. संस्था केवल व्यक्ति विशेष या व्यक्ति समूह शेष के हित सम्बन्धों के लिये कार्य करती है तथा साधारण समस्त सदस्यों के हित सम्बन्धन के लिये कार्य नहीं करती है.
4. संस्था के अधिनियम, नियम तथा संस्था की उपविधि का पालन करना बंद कर दिया है.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-बी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मैं, आर. के. वाजपेयी, उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला मुरैना यह कारण बताओ सूचना-पत्र के जरिये सूचित करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था अधिनियम की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जावे.

इस बावत् में दिनांक 12 अक्टूबर, 2015 तक लिखित में ठोस साक्ष्य सहित इस कार्यालय में उत्तर प्रस्तुत करें निर्धारित अवधि में उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो यह मानकर कि इस सम्बन्ध में आपको कुछ नहीं कहना है तथा उक्त आरोप स्वीकार हैं प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 सितम्बर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(654-J)

#### कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक/प्रभारी अधिकारी,

दुग्ध उत्पादक सह. संस्था मर्या., इटोरा,

तहसील कैलारस, जिला मुरैना.

यह कि दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., इटोरा जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./एम.एन.ए./260, दिनांक 07 नवम्बर, 1989 जिसे आगे संस्था कहा गया है के सम्बन्ध में निम्नानुसार आरोप हैं:-

1. संस्था द्वारा पंजीकरण आदेश में दर्शित समयावधि में अपना कार्य करना प्रारम्भ नहीं किया है.
2. संस्था ने कार्य करना बंद कर दिया है.
3. संस्था केवल व्यक्ति विशेष या व्यक्ति समूह शेष के हित सम्बन्धों के लिये कार्य करती है तथा साधारण समस्त सदस्यों के हित सम्बन्धन के लिये कार्य नहीं करती है.
4. संस्था के अधिनियम, नियम तथा संस्था की उपविधि का पालन करना बंद कर दिया है.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-बी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मैं, आर. के. वाजपेयी, उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला मुरैना यह कारण बताओ सूचना-पत्र के जरिये सूचित करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था अधिनियम की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जावे.

इस बावत् में दिनांक 12 अक्टूबर, 2015 तक लिखित में ठोस साक्ष्य सहित इस कार्यालय में उत्तर प्रस्तुत करें निर्धारित अवधि में उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो यह मानकर कि इस सम्बन्ध में आपको कुछ नहीं कहना है तथा उक्त आरोप स्वीकार हैं प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 सितम्बर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(654-K)

#### कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक/प्रभारी अधिकारी,

दुग्ध उत्पादक सह. संस्था मर्या., सुजानगढी,

तहसील कैलारस, जिला मुरैना.

यह कि दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सुजानगढी जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./एम.एन.ए./815, दिनांक 27 जनवरी, 1989



जिसे आगे संस्था कहा गया है के सम्बन्ध में निम्नानुसार आरोप हैं:-

1. संस्था द्वारा पंजीकरण आदेश में दर्शित समयावधि में अपना कार्य करना प्रारम्भ नहीं किया है.
2. संस्था ने कार्य करना बंद कर दिया है.
3. संस्था केवल व्यक्ति विशेष या व्यक्ति समूह शेष के हित सम्बन्धों के लिये कार्य करती है तथा साधारण समस्त सदस्यों के हित सम्बर्धन के लिये कार्य नहीं करती है.
4. संस्था के अधिनियम, नियम तथा संस्था की उपविधि का पालन करना बंद कर दिया है.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-बी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मैं, आर. के. वाजपेयी, उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला मुरैना यह कारण बताओ सूचना-पत्र के जरिये सूचित करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था अधिनियम की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जावे.

इस बावत् में दिनांक 12 अक्टूबर, 2015 तक लिखित में ठोस साक्ष्य सहित इस कार्यालय में उत्तर प्रस्तुत करें निर्धारित अवधि में उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो यह मानकर कि इस सम्बन्ध में आपको कुछ नहीं कहना है तथा उक्त आरोप स्वीकार हैं प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 सितम्बर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(654-L)

#### कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक/प्रभारी अधिकारी,

दुग्ध उत्पादक सह. संस्था मर्या., अकोडा,

तहसील अम्बाह, जिला मुरैना.

यह कि दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., अकोडा जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./एम.एन.ए./462, दिनांक 12 दिसम्बर, 1980 जिसे आगे संस्था कहा गया है के सम्बन्ध में निम्नानुसार आरोप हैं:-

1. संस्था द्वारा पंजीकरण आदेश में दर्शित समयावधि में अपना कार्य करना प्रारम्भ नहीं किया है.
2. संस्था ने कार्य करना बंद कर दिया है.
3. संस्था केवल व्यक्ति विशेष या व्यक्ति समूह शेष के हित सम्बन्धों के लिये कार्य करती है तथा साधारण समस्त सदस्यों के हित सम्बर्धन के लिये कार्य नहीं करती है.
4. संस्था के अधिनियम, नियम तथा संस्था की उपविधि का पालन करना बंद कर दिया है.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-बी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मैं, आर. के. वाजपेयी, उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला मुरैना यह कारण बताओ सूचना-पत्र के जरिये सूचित करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था अधिनियम की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जावे.

इस बावत् में दिनांक 12 अक्टूबर, 2015 तक लिखित में ठोस साक्ष्य सहित इस कार्यालय में उत्तर प्रस्तुत करें निर्धारित अवधि में उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो यह मानकर कि इस सम्बन्ध में आपको कुछ नहीं कहना है तथा उक्त आरोप स्वीकार हैं प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 सितम्बर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(654-M)

#### कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक/प्रभारी अधिकारी,

दुग्ध उत्पादक सह. संस्था मर्या., बरेह,

तहसील अम्बाह, जिला मुरैना.

यह कि दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बरेह जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./एम.एन.ए./458, दिनांक 21 अक्टूबर, 1980

जिसे आगे संस्था कहा गया है के सम्बन्ध में निम्नानुसार आरोप हैं:-

1. संस्था द्वारा पंजीकरण आदेश में दर्शित समयावधि में अपना कार्य करना प्रारम्भ नहीं किया है.
2. संस्था ने कार्य करना बंद कर दिया है.
3. संस्था केवल व्यक्ति विशेष या व्यक्ति समूह शेष के हित सम्बन्धों के लिये कार्य करती है तथा साधारण समस्त सदस्यों के हित सम्बर्धन के लिये कार्य नहीं करती है.
4. संस्था के अधिनियम, नियम तथा संस्था की उपविधि का पालन करना बंद कर दिया है.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-बी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मैं, आर. के. वाजपेयी, उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला मुरैना यह कारण बताओ सूचना-पत्र के जरिये सूचित करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था अधिनियम की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जावे.

इस बावत् में दिनांक 12 अक्टूबर, 2015 तक लिखित में ठोस साक्ष्य सहित इस कार्यालय में उत्तर प्रस्तुत करें निर्धारित अवधि में उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो यह मानकर कि इस सम्बन्ध में आपको कुछ नहीं कहना है तथा उक्त आरोप स्वीकार हैं प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 सितम्बर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(654-N)

#### कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक/प्रभारी अधिकारी,  
दुग्ध उत्पादक सह. संस्था मर्या., पायकापुरा,  
तहसील अम्बाह, जिला मुरैना.

यह कि दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पायकापुरा जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./एम.एन.ए./452, दिनांक 21 अक्टूबर, 1980 जिसे आगे संस्था कहा गया है के सम्बन्ध में निम्नानुसार आरोप हैं:-

1. संस्था द्वारा पंजीकरण आदेश में दर्शित समयावधि में अपना कार्य करना प्रारम्भ नहीं किया है.
2. संस्था ने कार्य करना बंद कर दिया है.
3. संस्था केवल व्यक्ति विशेष या व्यक्ति समूह शेष के हित सम्बन्धों के लिये कार्य करती है तथा साधारण समस्त सदस्यों के हित सम्बर्धन के लिये कार्य नहीं करती है.
4. संस्था के अधिनियम, नियम तथा संस्था की उपविधि का पालन करना बंद कर दिया है.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-बी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मैं, आर. के. वाजपेयी, उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला मुरैना यह कारण बताओ सूचना-पत्र के जरिये सूचित करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था अधिनियम की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जावे.

इस बावत् में दिनांक 12 अक्टूबर, 2015 तक लिखित में ठोस साक्ष्य सहित इस कार्यालय में उत्तर प्रस्तुत करें निर्धारित अवधि में उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो यह मानकर कि इस सम्बन्ध में आपको कुछ नहीं कहना है तथा उक्त आरोप स्वीकार हैं प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 सितम्बर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(654-O)

#### कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक/प्रभारी अधिकारी,  
दुग्ध उत्पादक सह. संस्था मर्या., पहाडी,  
तहसील व जिला मुरैना.

यह कि दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पहाडी जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./एम.एन.ए./909, दिनांक 09 नवम्बर, 1989

जिसे आगे संस्था कहा गया है के सम्बन्ध में निम्नानुसार आरोप हैं:-

1. संस्था द्वारा पंजीकरण आदेश में दर्शित समयावधि में अपना कार्य करना प्रारम्भ नहीं किया है.
2. संस्था ने कार्य करना बंद कर दिया है.
3. संस्था केवल व्यक्ति विशेष या व्यक्ति समूह शेष के हित सम्बन्धों के लिये कार्य करती है तथा साधारण समस्त सदस्यों के हित सम्बन्धन के लिये कार्य नहीं करती है.
4. संस्था के अधिनियम, नियम तथा संस्था की उपविधि का पालन करना बंद कर दिया है.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-बी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मैं, आर. के. वाजपेयी, उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला मुरैना यह कारण बताओ सूचना-पत्र के जरिये सूचित करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था अधिनियम की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जावे.

इस बावत् में दिनांक 12 अक्टूबर, 2015 तक लिखित में ठोस साक्ष्य सहित इस कार्यालय में उत्तर प्रस्तुत करें निर्धारित अवधि में उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो यह मानकर कि इस सम्बन्ध में आपको कुछ नहीं कहना है तथा उक्त आरोप स्वीकार हैं प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 सितम्बर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(654-P)

#### कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक/प्रभारी अधिकारी,

दुग्ध उत्पादक सह. संस्था मर्या., महराकी,

तहसील अम्बाह, जिला मुरैना.

यह कि दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., महराकी जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./एम.एन.ए./888, दिनांक 16 मई, 1989 जिसे आगे संस्था कहा गया है के सम्बन्ध में निम्नानुसार आरोप हैं:-

1. संस्था द्वारा पंजीकरण आदेश में दर्शित समयावधि में अपना कार्य करना प्रारम्भ नहीं किया है.
2. संस्था ने कार्य करना बंद कर दिया है.
3. संस्था केवल व्यक्ति विशेष या व्यक्ति समूह शेष के हित सम्बन्धों के लिये कार्य करती है तथा साधारण समस्त सदस्यों के हित सम्बन्धन के लिये कार्य नहीं करती है.
4. संस्था के अधिनियम, नियम तथा संस्था की उपविधि का पालन करना बंद कर दिया है.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-बी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मैं, आर. के. वाजपेयी, उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला मुरैना यह कारण बताओ सूचना-पत्र के जरिये सूचित करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था अधिनियम की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जावे.

इस बावत् में दिनांक 12 अक्टूबर, 2015 तक लिखित में ठोस साक्ष्य सहित इस कार्यालय में उत्तर प्रस्तुत करें निर्धारित अवधि में उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो यह मानकर कि इस सम्बन्ध में आपको कुछ नहीं कहना है तथा उक्त आरोप स्वीकार हैं प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 सितम्बर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(654-Q)

#### कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक/प्रभारी अधिकारी,

दुग्ध उत्पादक सह. संस्था मर्या., कुभियाना,

तहसील अम्बाह, जिला मुरैना.

यह कि दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कुभियाना जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./एम.एन.ए./831, दिनांक 27 जनवरी, 1989

जिसे आगे संस्था कहा गया है के सम्बन्ध में निम्नानुसार आरोप हैं:-

1. संस्था द्वारा पंजीकरण आदेश में दर्शित समयावधि में अपना कार्य करना प्रारम्भ नहीं किया है.
2. संस्था ने कार्य करना बंद कर दिया है.
3. संस्था केवल व्यक्ति विशेष या व्यक्ति समूह शेष के हित सम्बन्धों के लिये कार्य करती है तथा साधारण समस्त सदस्यों के हित सम्बर्धन के लिये कार्य नहीं करती है.
4. संस्था के अधिनियम, नियम तथा संस्था की उपविधि का पालन करना बंद कर दिया है.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-बी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मैं, आर. के. वाजपेयी, उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला मुरैना यह कारण बताओ सूचना-पत्र के जरिये सूचित करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था अधिनियम की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जावे.

इस बावत् में दिनांक 12 अक्टूबर, 2015 तक लिखित में ठोस साक्ष्य सहित इस कार्यालय में उत्तर प्रस्तुत करें निर्धारित अवधि में उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो यह मानकर कि इस सम्बन्ध में आपको कुछ नहीं कहना है तथा उक्त आरोप स्वीकार हैं प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 सितम्बर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(654-R)

#### कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक/प्रभारी अधिकारी,

दुग्ध उत्पादक सह. संस्था मर्या., ग्यासीपुरा,

तहसील अम्बाह, जिला मुरैना.

यह कि दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., ग्यासीपुरा जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./एम.एन.ए./805, दिनांक 30 नवम्बर, 1988 जिसे आगे संस्था कहा गया है के सम्बन्ध में निम्नानुसार आरोप हैं:-

1. संस्था द्वारा पंजीकरण आदेश में दर्शित समयावधि में अपना कार्य करना प्रारम्भ नहीं किया है.
2. संस्था ने कार्य करना बंद कर दिया है.
3. संस्था केवल व्यक्ति विशेष या व्यक्ति समूह शेष के हित सम्बन्धों के लिये कार्य करती है तथा साधारण समस्त सदस्यों के हित सम्बर्धन के लिये कार्य नहीं करती है.
4. संस्था के अधिनियम, नियम तथा संस्था की उपविधि का पालन करना बंद कर दिया है.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-बी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मैं, आर. के. वाजपेयी, उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला मुरैना यह कारण बताओ सूचना-पत्र के जरिये सूचित करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था अधिनियम की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जावे.

इस बावत् में दिनांक 12 अक्टूबर, 2015 तक लिखित में ठोस साक्ष्य सहित इस कार्यालय में उत्तर प्रस्तुत करें निर्धारित अवधि में उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो यह मानकर कि इस सम्बन्ध में आपको कुछ नहीं कहना है तथा उक्त आरोप स्वीकार हैं प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 सितम्बर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(654-S)

#### कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक/प्रभारी अधिकारी,

दुग्ध उत्पादक सह. संस्था मर्या., बूढबहरारा,

तहसील कैलारस, जिला मुरैना.

यह कि दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बूढबहरारा जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./एम.एन.ए./718, दिनांक 12 दिसम्बर, 1982

जिसे आगे संस्था कहा गया है के सम्बन्ध में निम्नानुसार आरोप हैं:-

1. संस्था द्वारा पंजीकरण आदेश में दर्शित समयावधि में अपना कार्य करना प्रारम्भ नहीं किया है.
2. संस्था ने कार्य करना बंद कर दिया है.
3. संस्था केवल व्यक्ति विशेष या व्यक्ति समूह शेष के हित सम्बन्धों के लिये कार्य करती है तथा साधारण समस्त सदस्यों के हित सम्बर्धन के लिये कार्य नहीं करती है.
4. संस्था के अधिनियम, नियम तथा संस्था की उपविधि का पालन करना बंद कर दिया है.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-बी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मैं, आर. के. वाजपेयी, उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला मुरैना यह कारण बताओ सूचना-पत्र के जरिये सूचित करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था अधिनियम की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जावे.

इस बावत् में दिनांक 12 अक्टूबर, 2015 तक लिखित में ठोस साक्ष्य सहित इस कार्यालय में उत्तर प्रस्तुत करें निर्धारित अवधि में उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो यह मानकर कि इस सम्बन्ध में आपको कुछ नहीं कहना है तथा उक्त आरोप स्वीकार हैं प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 सितम्बर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(654-T)

#### कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक/प्रभारी अधिकारी,

दुग्ध उत्पादक सह. संस्था मर्या., मोतीपुरा,

तहसील कैलारस, जिला मुरैना.

यह कि दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मोतीपुरा जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./एम.एन.ए./1199, दिनांक 17 फरवरी, 2003 जिसे आगे संस्था कहा गया है के सम्बन्ध में निम्नानुसार आरोप हैं:-

1. संस्था द्वारा पंजीकरण आदेश में दर्शित समयावधि में अपना कार्य करना प्रारम्भ नहीं किया है.
2. संस्था ने कार्य करना बंद कर दिया है.
3. संस्था केवल व्यक्ति विशेष या व्यक्ति समूह शेष के हित सम्बन्धों के लिये कार्य करती है तथा साधारण समस्त सदस्यों के हित सम्बर्धन के लिये कार्य नहीं करती है.
4. संस्था के अधिनियम, नियम तथा संस्था की उपविधि का पालन करना बंद कर दिया है.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-बी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मैं, आर. के. वाजपेयी, उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला मुरैना यह कारण बताओ सूचना-पत्र के जरिये सूचित करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था अधिनियम की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जावे.

इस बावत् में दिनांक 12 अक्टूबर, 2015 तक लिखित में ठोस साक्ष्य सहित इस कार्यालय में उत्तर प्रस्तुत करें निर्धारित अवधि में उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो यह मानकर कि इस सम्बन्ध में आपको कुछ नहीं कहना है तथा उक्त आरोप स्वीकार हैं प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 सितम्बर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(654-U)

#### कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक/प्रभारी अधिकारी,

दुग्ध उत्पादक सह. संस्था मर्या., निरारा,

तहसील कैलारस, जिला मुरैना.

यह कि दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., निरारा जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./एम.एन.ए./....., दिनांक..... जिसे

आगे संस्था कहा गया है के सम्बन्ध में निम्नानुसार आरोप हैं:-

1. संस्था द्वारा पंजीकरण आदेश में दर्शित समयावधि में अपना कार्य करना प्रारम्भ नहीं किया है.
2. संस्था ने कार्य करना बंद कर दिया है.
3. संस्था केवल व्यक्ति विशेष या व्यक्ति समूह शेष के हित सम्बन्धों के लिये कार्य करती है तथा साधारण समस्त सदस्यों के हित सम्बर्धन के लिये कार्य नहीं करती है.
4. संस्था के अधिनियम, नियम तथा संस्था की उपविधि का पालन करना बंद कर दिया है.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-बी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मैं, आर. के. वाजपेयी, उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला मुरैना यह कारण बताओ सूचना-पत्र के जरिये सूचित करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था अधिनियम की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जावे.

इस बावत् में दिनांक 12 अक्टूबर, 2015 तक लिखित में ठोस साक्ष्य सहित इस कार्यालय में उत्तर प्रस्तुत करें निर्धारित अवधि में उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो यह मानकर कि इस सम्बन्ध में आपको कुछ नहीं कहना है तथा उक्त आरोप स्वीकार हैं प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 सितम्बर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(654-V)

#### कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक/प्रभारी अधिकारी,

दुग्ध उत्पादक सह. संस्था मर्या., मैथाना,

तहसील व जिला मुरैना.

यह कि दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मैथाना जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./एम.एन.ए./683, दिनांक 28 अप्रैल, 1987 जिसे आगे संस्था कहा गया है के सम्बन्ध में निम्नानुसार आरोप हैं:-

1. संस्था द्वारा पंजीकरण आदेश में दर्शित समयावधि में अपना कार्य करना प्रारम्भ नहीं किया है.
2. संस्था ने कार्य करना बंद कर दिया है.
3. संस्था केवल व्यक्ति विशेष या व्यक्ति समूह शेष के हित सम्बन्धों के लिये कार्य करती है तथा साधारण समस्त सदस्यों के हित सम्बर्धन के लिये कार्य नहीं करती है.
4. संस्था के अधिनियम, नियम तथा संस्था की उपविधि का पालन करना बंद कर दिया है.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-बी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मैं, आर. के. वाजपेयी, उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला मुरैना यह कारण बताओ सूचना-पत्र के जरिये सूचित करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था अधिनियम की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जावे.

इस बावत् में दिनांक 12 अक्टूबर, 2015 तक लिखित में ठोस साक्ष्य सहित इस कार्यालय में उत्तर प्रस्तुत करें निर्धारित अवधि में उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो यह मानकर कि इस सम्बन्ध में आपको कुछ नहीं कहना है तथा उक्त आरोप स्वीकार हैं प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 सितम्बर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(654-W)

#### कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक/प्रभारी अधिकारी,

दुग्ध उत्पादक सह. संस्था मर्या., हिगोनाकला,

तहसील व जिला मुरैना.

यह कि दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., हिगोनाकला जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./एम.एन.ए./1382, दिनांक 10 जून, 2004

जिसे आगे संस्था कहा गया है के सम्बन्ध में निम्नानुसार आरोप हैं:-

1. संस्था द्वारा पंजीकरण आदेश में दर्शित समयावधि में अपना कार्य करना प्रारम्भ नहीं किया है.
2. संस्था ने कार्य करना बंद कर दिया है.
3. संस्था केवल व्यक्ति विशेष या व्यक्ति समूह शेष के हित सम्बन्धों के लिये कार्य करती है तथा साधारण समस्त सदस्यों के हित सम्बन्धन के लिये कार्य नहीं करती है.
4. संस्था के अधिनियम, नियम तथा संस्था की उपविधि का पालन करना बंद कर दिया है.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-बी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मैं, आर. के. वाजपेयी, उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला मुरैना यह कारण बताओ सूचना-पत्र के जरिये सूचित करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था अधिनियम की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जावे.

इस बावत् में दिनांक 12 अक्टूबर, 2015 तक लिखित में ठोस साक्ष्य सहित इस कार्यालय में उत्तर प्रस्तुत करें निर्धारित अवधि में उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो यह मानकर कि इस सम्बन्ध में आपको कुछ नहीं कहना है तथा उक्त आरोप स्वीकार हैं प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 सितम्बर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(654-X)

#### कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक/प्रभारी अधिकारी,  
दुग्ध उत्पादक सह. संस्था मर्या., शंकरपुर,  
तहसील व जिला मुरैना.

यह कि दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., शंकरपुर जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./एम.एन.ए./551, दिनांक 27 मई, 1983 जिसे आगे संस्था कहा गया है के सम्बन्ध में निम्नानुसार आरोप हैं:-

1. संस्था द्वारा पंजीकरण आदेश में दर्शित समयावधि में अपना कार्य करना प्रारम्भ नहीं किया है.
2. संस्था ने कार्य करना बंद कर दिया है.
3. संस्था केवल व्यक्ति विशेष या व्यक्ति समूह शेष के हित सम्बन्धों के लिये कार्य करती है तथा साधारण समस्त सदस्यों के हित सम्बन्धन के लिये कार्य नहीं करती है.
4. संस्था के अधिनियम, नियम तथा संस्था की उपविधि का पालन करना बंद कर दिया है.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-बी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मैं, आर. के. वाजपेयी, उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला मुरैना यह कारण बताओ सूचना-पत्र के जरिये सूचित करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था अधिनियम की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जावे.

इस बावत् में दिनांक 12 अक्टूबर, 2015 तक लिखित में ठोस साक्ष्य सहित इस कार्यालय में उत्तर प्रस्तुत करें निर्धारित अवधि में उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो यह मानकर कि इस सम्बन्ध में आपको कुछ नहीं कहना है तथा उक्त आरोप स्वीकार हैं प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 सितम्बर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(654-Y)

#### कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक/प्रभारी अधिकारी,  
दुग्ध उत्पादक सह. संस्था मर्या., साडूकापुरा,  
तहसील अम्बाह, जिला मुरैना.

यह कि दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., साडूकापुरा जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./एम.एन.ए./1271, दिनांक 13 अगस्त, 2004

जिसे आगे संस्था कहा गया है के सम्बन्ध में निम्नानुसार आरोप हैं:-

1. संस्था द्वारा पंजीकरण आदेश में दर्शित समयावधि में अपना कार्य करना प्रारम्भ नहीं किया है.
2. संस्था ने कार्य करना बंद कर दिया है.
3. संस्था केवल व्यक्ति विशेष या व्यक्ति समूह शेष के हित सम्बन्धों के लिये कार्य करती है तथा साधारण समस्त सदस्यों के हित सम्बर्धन के लिये कार्य नहीं करती है.
4. संस्था के अधिनियम, नियम तथा संस्था की उपविधि का पालन करना बंद कर दिया है.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-बी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मैं, आर. के. वाजपेयी, उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला मुरैना यह कारण बताओ सूचना-पत्र के जरिये सूचित करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था अधिनियम की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जावे.

इस बावत् में दिनांक 12 अक्टूबर, 2015 तक लिखित में ठोस साक्ष्य सहित इस कार्यालय में उत्तर प्रस्तुत करें निर्धारित अवधि में उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो यह मानकर कि इस सम्बन्ध में आपको कुछ नहीं कहना है तथा उक्त आरोप स्वीकार हैं प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 सितम्बर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(654-Z)

#### कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक/प्रभारी अधिकारी,

दुग्ध उत्पादक सह. संस्था मर्या., बंगसपुरा,

तहसील कैलारस, जिला मुरैना.

यह कि दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बंगसपुरा जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./एम.एन.ए./1308, दिनांक 25 जून, 2005 जिसे आगे संस्था कहा गया है के सम्बन्ध में निम्नानुसार आरोप हैं:-

1. संस्था द्वारा पंजीकरण आदेश में दर्शित समयावधि में अपना कार्य करना प्रारम्भ नहीं किया है.
2. संस्था ने कार्य करना बंद कर दिया है.
3. संस्था केवल व्यक्ति विशेष या व्यक्ति समूह शेष के हित सम्बन्धों के लिये कार्य करती है तथा साधारण समस्त सदस्यों के हित सम्बर्धन के लिये कार्य नहीं करती है.
4. संस्था के अधिनियम, नियम तथा संस्था की उपविधि का पालन करना बंद कर दिया है.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-बी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मैं, आर. के. वाजपेयी, उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला मुरैना यह कारण बताओ सूचना-पत्र के जरिये सूचित करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था अधिनियम की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जावे.

इस बावत् में दिनांक 12 अक्टूबर, 2015 तक लिखित में ठोस साक्ष्य सहित इस कार्यालय में उत्तर प्रस्तुत करें निर्धारित अवधि में उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो यह मानकर कि इस सम्बन्ध में आपको कुछ नहीं कहना है तथा उक्त आरोप स्वीकार हैं प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 सितम्बर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(655)

#### कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक/प्रभारी अधिकारी,

दुग्ध उत्पादक सह. संस्था मर्या., अघन्नपुर,

तहसील पोरसा, जिला मुरैना.

यह कि दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., अघन्नपुर जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./एम.एन.ए./625, दिनांक 30 मई, 1986 जिसे



आगे संस्था कहा गया है के सम्बन्ध में निम्नानुसार आरोप हैं:-

1. संस्था द्वारा पंजीकरण आदेश में दर्शित समयावधि में अपना कार्य करना प्रारम्भ नहीं किया है।
2. संस्था ने कार्य करना बंद कर दिया है।
3. संस्था केवल व्यक्ति विशेष या व्यक्ति समूह शेष के हित सम्बन्धों के लिये कार्य करती है तथा साधारण समस्त सदस्यों के हित सम्बन्धन के लिये कार्य नहीं करती है।
4. संस्था के अधिनियम, नियम तथा संस्था की उपविधि का पालन करना बंद कर दिया है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-बी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मैं, आर. के. वाजपेयी, उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला मुरैना यह कारण बताओ सूचना-पत्र के जरिये सूचित करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था अधिनियम की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जावे।

इस बावत् में दिनांक 12 अक्टूबर, 2015 तक लिखित में ठोस साक्ष्य सहित इस कार्यालय में उत्तर प्रस्तुत करें निर्धारित अवधि में उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो यह मानकर कि इस सम्बन्ध में आपको कुछ नहीं कहना है तथा उक्त आरोप-स्वीकार हैं प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 सितम्बर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(655-A)

#### कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक/प्रभारी अधिकारी,

दुग्ध उत्पादक सह. संस्था मर्या., महादेव का पुरा,

तहसील अम्बाह, जिला मुरैना.

यह कि दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., महादेव का पुरा जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./एम.एन.ए./740, दिनांक 11 मार्च, 1988 जिसे आगे संस्था कहा गया है के सम्बन्ध में निम्नानुसार आरोप हैं:-

1. संस्था द्वारा पंजीकरण आदेश में दर्शित समयावधि में अपना कार्य करना प्रारम्भ नहीं किया है।
2. संस्था ने कार्य करना बंद कर दिया है।
3. संस्था केवल व्यक्ति विशेष या व्यक्ति समूह शेष के हित सम्बन्धों के लिये कार्य करती है तथा साधारण समस्त सदस्यों के हित सम्बन्धन के लिये कार्य नहीं करती है।
4. संस्था के अधिनियम, नियम तथा संस्था की उपविधि का पालन करना बंद कर दिया है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-बी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मैं, आर. के. वाजपेयी, उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला मुरैना यह कारण बताओ सूचना-पत्र के जरिये सूचित करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था अधिनियम की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जावे।

इस बावत् में दिनांक 12 अक्टूबर, 2015 तक लिखित में ठोस साक्ष्य सहित इस कार्यालय में उत्तर प्रस्तुत करें निर्धारित अवधि में उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो यह मानकर कि इस सम्बन्ध में आपको कुछ नहीं कहना है तथा उक्त आरोप स्वीकार हैं प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 सितम्बर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(655-B)

#### कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक/प्रभारी अधिकारी,

दुग्ध उत्पादक सह. संस्था मर्या., कसमडा,

तहसील अम्बाह, जिला मुरैना.

यह कि दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कसमडा जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./एम.एन.ए./623, दिनांक 30 मई, 1986

जिसे आगे संस्था कहा गया है के सम्बन्ध में निम्नानुसार आरोप हैं:-

1. संस्था द्वारा पंजीकरण आदेश में दर्शित समयावधि में अपना कार्य करना प्रारम्भ नहीं किया है.
2. संस्था ने कार्य करना बंद कर दिया है.
3. संस्था केवल व्यक्ति विशेष या व्यक्ति समूह शेष के हित सम्बन्धों के लिये कार्य करती है तथा साधारण समस्त सदस्यों के हित सम्बर्धन के लिये कार्य नहीं करती है.
4. संस्था के अधिनियम, नियम तथा संस्था की उपविधि का पालन करना बंद कर दिया है.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-बी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मैं, आर. के. वाजपेयी, उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला मुरैना यह कारण बताओ सूचना-पत्र के जरिये सूचित करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था अधिनियम की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जावे.

इस बावत् में दिनांक 12 अक्टूबर, 2015 तक लिखित में ठोस साक्ष्य सहित इस कार्यालय में उत्तर प्रस्तुत करें निर्धारित अवधि में उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो यह मानकर कि इस सम्बन्ध में आपको कुछ नहीं कहना है तथा उक्त आरोप स्वीकार हैं प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 सितम्बर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(655-C)

#### कारण बताओ सूचना-पत्र

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत ]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक/प्रभारी अधिकारी,  
दुग्ध उत्पादक सह. संस्था मर्या., जलका नगरा,  
तहसील अम्बाह, जिला मुरैना.

यह कि दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., जलका नगरा जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./एम.एन.ए./627, दिनांक 30 मई, 1986 जिसे आगे संस्था कहा गया है के सम्बन्ध में निम्नानुसार आरोप हैं:-

1. संस्था द्वारा पंजीकरण आदेश में दर्शित समयावधि में अपना कार्य करना प्रारम्भ नहीं किया है.
2. संस्था ने कार्य करना बंद कर दिया है.
3. संस्था केवल व्यक्ति विशेष या व्यक्ति समूह शेष के हित सम्बन्धों के लिये कार्य करती है तथा साधारण समस्त सदस्यों के हित सम्बर्धन के लिये कार्य नहीं करती है.
4. संस्था के अधिनियम, नियम तथा संस्था की उपविधि का पालन करना बंद कर दिया है.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-बी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मैं, आर. के. वाजपेयी, उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला मुरैना यह कारण बताओ सूचना-पत्र के जरिये सूचित करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था अधिनियम की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जावे.

इस बावत् में दिनांक 12 अक्टूबर, 2015 तक लिखित में ठोस साक्ष्य सहित इस कार्यालय में उत्तर प्रस्तुत करें निर्धारित अवधि में उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो यह मानकर कि इस सम्बन्ध में आपको कुछ नहीं कहना है तथा उक्त आरोप स्वीकार हैं प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 सितम्बर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(655-D)

#### कारण बताओ सूचना-पत्र

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत ]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक/प्रभारी अधिकारी,  
दुग्ध उत्पादक सह. संस्था मर्या., बिलौआ,  
तहसील कैलारस, जिला मुरैना.

यह कि दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बिलौआ जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./एम.एन.ए./706, दिनांक 07 नवम्बर, 1987

जिसे आगे संस्था कहा गया है के सम्बन्ध में निम्नानुसार आरोप हैं:-

1. संस्था द्वारा पंजीकरण आदेश में दर्शित समयावधि में अपना कार्य करना प्रारम्भ नहीं किया है.
2. संस्था ने कार्य करना बंद कर दिया है.
3. संस्था केवल व्यक्ति विशेष या व्यक्ति समूह शेष के हित सम्बन्धों के लिये कार्य करती है तथा साधारण समस्त सदस्यों के हित सम्बर्धन के लिये कार्य नहीं करती है.
4. संस्था के अधिनियम, नियम तथा संस्था की उपविधि का पालन करना बंद कर दिया है.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-बी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मैं, आर. के. वाजपेयी, उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला मुरैना यह कारण बताओ सूचना-पत्र के जरिये सूचित करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था अधिनियम की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जावे.

इस बावत् में दिनांक 12 अक्टूबर, 2015 तक लिखित में ठोस साक्ष्य सहित इस कार्यालय में उत्तर प्रस्तुत करें निर्धारित अवधि में उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो यह मानकर कि इस सम्बन्ध में आपको कुछ नहीं कहना है तथा उक्त आरोप स्वीकार हैं प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 सितम्बर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(655-E)

#### कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक/प्रभारी अधिकारी,  
दुग्ध उत्पादक सह. संस्था मर्या., कचनोधा,  
तहसील अम्बाह, जिला मुरैना.

यह कि दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कचनोधा जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./एम.एन.ए./460, दिनांक 12 दिसम्बर, 1980 जिसे आगे संस्था कहा गया है के सम्बन्ध में निम्नानुसार आरोप हैं:-

1. संस्था द्वारा पंजीकरण आदेश में दर्शित समयावधि में अपना कार्य करना प्रारम्भ नहीं किया है.
2. संस्था ने कार्य करना बंद कर दिया है.
3. संस्था केवल व्यक्ति विशेष या व्यक्ति समूह शेष के हित सम्बन्धों के लिये कार्य करती है तथा साधारण समस्त सदस्यों के हित सम्बर्धन के लिये कार्य नहीं करती है.
4. संस्था के अधिनियम, नियम तथा संस्था की उपविधि का पालन करना बंद कर दिया है.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-बी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मैं, आर. के. वाजपेयी, उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला मुरैना यह कारण बताओ सूचना-पत्र के जरिये सूचित करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था अधिनियम की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जावे.

इस बावत् में दिनांक 12 अक्टूबर, 2015 तक लिखित में ठोस साक्ष्य सहित इस कार्यालय में उत्तर प्रस्तुत करें निर्धारित अवधि में उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो यह मानकर कि इस सम्बन्ध में आपको कुछ नहीं कहना है तथा उक्त आरोप स्वीकार हैं प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 सितम्बर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(655-F)

#### कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक/प्रभारी अधिकारी,  
दुग्ध उत्पादक सह. संस्था मर्या., महचन्द्रपुर,  
तहसील व जिला मुरैना.

यह कि दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., महचन्द्रपुर जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./एम.एन.ए./679, दिनांक 24 अप्रैल, 1987

जिसे आगे संस्था कहा गया है के सम्बन्ध में निम्नानुसार आरोप हैं:-

1. संस्था द्वारा पंजीकरण आदेश में दर्शित समयावधि में अपना कार्य करना प्रारम्भ नहीं किया है.
2. संस्था ने कार्य करना बंद कर दिया है.
3. संस्था केवल व्यक्ति विशेष या व्यक्ति समूह शेष के हित सम्बन्धों के लिये कार्य करती है तथा साधारण समस्त सदस्यों के हित सम्बन्धन के लिये कार्य नहीं करती है.
4. संस्था के अधिनियम, नियम तथा संस्था की उपविधि का पालन करना बंद कर दिया है.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-बी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मैं, आर. के. वाजपेयी, उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला मुरैना यह कारण बताओ सूचना-पत्र के जरिये सूचित करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था अधिनियम की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जावे.

इस बावत् में दिनांक 12 अक्टूबर, 2015 तक लिखित में ठोस साक्ष्य सहित इस कार्यालय में उत्तर प्रस्तुत करें निर्धारित अवधि में उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो यह मानकर कि इस सम्बन्ध में आपको कुछ नहीं कहना है तथा उक्त आरोप स्वीकार हैं प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 सितम्बर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(655-G)

#### कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक/प्रभारी अधिकारी,

दुग्ध उत्पादक सह. संस्था मर्या., सिरमोर का पुरा,

तहसील अम्बाह, जिला मुरैना.

यह कि दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सिरमोर का पुरा, जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./एम.एन.ए./477, दिनांक 17 जनवरी, 1981 जिसे आगे संस्था कहा गया है के सम्बन्ध में निम्नानुसार आरोप हैं:-

1. संस्था द्वारा पंजीकरण आदेश में दर्शित समयावधि में अपना कार्य करना प्रारम्भ नहीं किया है.
2. संस्था ने कार्य करना बंद कर दिया है.
3. संस्था केवल व्यक्ति विशेष या व्यक्ति समूह शेष के हित सम्बन्धों के लिये कार्य करती है तथा साधारण समस्त सदस्यों के हित सम्बन्धन के लिये कार्य नहीं करती है.
4. संस्था के अधिनियम, नियम तथा संस्था की उपविधि का पालन करना बंद कर दिया है.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-बी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मैं, आर. के. वाजपेयी, उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला मुरैना यह कारण बताओ सूचना-पत्र के जरिये सूचित करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था अधिनियम की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जावे.

इस बावत् में दिनांक 12 अक्टूबर, 2015 तक लिखित में ठोस साक्ष्य सहित इस कार्यालय में उत्तर प्रस्तुत करें निर्धारित अवधि में उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो यह मानकर कि इस सम्बन्ध में आपको कुछ नहीं कहना है तथा उक्त आरोप स्वीकार हैं प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 सितम्बर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(655-H)

#### कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक/प्रभारी अधिकारी,

दुग्ध उत्पादक सह. संस्था मर्या., बघरोली,

तहसील कैलारस, जिला मुरैना.

यह कि दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बघरोली जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./एम.एन.ए./1319, दिनांक 06 दिसम्बर, 2005

जिसे आगे संस्था कहा गया है के सम्बन्ध में निम्नानुसार आरोप हैं:-

1. संस्था द्वारा पंजीकरण आदेश में दर्शित समयावधि में अपना कार्य करना प्रारम्भ नहीं किया है।
2. संस्था ने कार्य करना बंद कर दिया है।
3. संस्था केवल व्यक्ति विशेष या व्यक्ति समूह शेष के हित सम्बन्धों के लिये कार्य करती है तथा साधारण समस्त सदस्यों के हित सम्बन्धन के लिये कार्य नहीं करती है।
4. संस्था के अधिनियम, नियम तथा संस्था की उपविधि का पालन करना बंद कर दिया है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-बी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मैं, आर. के. वाजपेयी, उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला मुरैना यह कारण बताओ सूचना-पत्र के जरिये सूचित करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था अधिनियम की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जावे।

इस बावत् में दिनांक 12 अक्टूबर, 2015 तक लिखित में टोस साक्ष्य सहित इस कार्यालय में उत्तर प्रस्तुत करें निर्धारित अवधि में उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो यह मानकर कि इस सम्बन्ध में आपको कुछ नहीं कहना है तथा उक्त आरोप स्वीकार हैं प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 सितम्बर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(655-I)

#### कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक/प्रभारी अधिकारी,  
दुग्ध उत्पादक सह. संस्था मर्या., थरा,  
तहसील अम्बाह, जिला मुरैना.

यह कि दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., थरा (अम्बाह) जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./एम.एन.ए./739, दिनांक 11 मार्च, 1988 जिसे आगे संस्था कहा गया है के सम्बन्ध में निम्नानुसार आरोप हैं:-

1. संस्था द्वारा पंजीकरण आदेश में दर्शित समयावधि में अपना कार्य करना प्रारम्भ नहीं किया है।
2. संस्था ने कार्य करना बंद कर दिया है।
3. संस्था केवल व्यक्ति विशेष या व्यक्ति समूह शेष के हित सम्बन्धों के लिये कार्य करती है तथा साधारण समस्त सदस्यों के हित सम्बन्धन के लिये कार्य नहीं करती है।
4. संस्था के अधिनियम, नियम तथा संस्था की उपविधि का पालन करना बंद कर दिया है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-बी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मैं, आर. के. वाजपेयी, उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला मुरैना यह कारण बताओ सूचना-पत्र के जरिये सूचित करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था अधिनियम की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जावे।

इस बावत् में दिनांक 12 अक्टूबर, 2015 तक लिखित में टोस साक्ष्य सहित इस कार्यालय में उत्तर प्रस्तुत करें निर्धारित अवधि में उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो यह मानकर कि इस सम्बन्ध में आपको कुछ नहीं कहना है तथा उक्त आरोप स्वीकार हैं प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 सितम्बर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(655-J)

मुरैना, दिनांक 3 अक्टूबर, 2015

#### कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक/प्रभारी अधिकारी,  
दुग्ध उत्पादक सह. संस्था मर्या., सेमई,  
जिला मुरैना.

क्र./परि./2015/1984.—यह कि दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सेमई जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./एम.एन.ए./820,

दिनांक 27 जनवरी, 1989 जिसे आगे संस्था कहा गया है के सम्बन्ध में निम्नानुसार आरोप हैं:-

1. संस्था द्वारा पंजीकरण आदेश में दर्शित समयावधि में अपना कार्य करना प्रारम्भ नहीं किया है.
2. संस्था ने कार्य करना बंद कर दिया है.
3. संस्था केवल व्यक्ति विशेष या व्यक्ति समूह शेष के हित सम्बन्धों के लिये कार्य करती है तथा साधारण समस्त सदस्यों के हित सम्बन्धन के लिये कार्य नहीं करती है.
4. संस्था के अधिनियम, नियम तथा संस्था की उपविधि का पालन करना बंद कर दिया है.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-बी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मैं, आर. के. वाजपेयी, उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला मुरैना यह कारण बताओ सूचना-पत्र के जरिये सूचित करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था अधिनियम की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जावे.

इस बावत् में दिनांक 12 अक्टूबर, 2015 तक लिखित में ठोस साक्ष्य सहित इस कार्यालय में उत्तर प्रस्तुत करें निर्धारित अवधि में उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो यह मानकर कि इस सम्बन्ध में आपको कुछ नहीं कहना है तथा उक्त आरोप स्वीकार हैं प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 सितम्बर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(655-K)

#### कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक/प्रभारी अधिकारी,

दुग्ध उत्पादक सह. संस्था मर्या., बस्तोली,

तहसील कैलारस, जिला मुरैना.

यह कि दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बस्तोली जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./एम.एन.ए./1328, दिनांक 10 जुलाई, 2006 जिसे आगे संस्था कहा गया है के सम्बन्ध में निम्नानुसार आरोप हैं:-

1. संस्था द्वारा पंजीकरण आदेश में दर्शित समयावधि में अपना कार्य करना प्रारम्भ नहीं किया है.
2. संस्था ने कार्य करना बंद कर दिया है.
3. संस्था केवल व्यक्ति विशेष या व्यक्ति समूह शेष के हित सम्बन्धों के लिये कार्य करती है तथा साधारण समस्त सदस्यों के हित सम्बन्धन के लिये कार्य नहीं करती है.
4. संस्था के अधिनियम, नियम तथा संस्था की उपविधि का पालन करना बंद कर दिया है.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-बी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मैं, आर. के. वाजपेयी, उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला मुरैना यह कारण बताओ सूचना-पत्र के जरिये सूचित करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था अधिनियम की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जावे.

इस बावत् में दिनांक 12 अक्टूबर, 2015 तक लिखित में ठोस साक्ष्य सहित इस कार्यालय में उत्तर प्रस्तुत करें निर्धारित अवधि में उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो यह मानकर कि इस सम्बन्ध में आपको कुछ नहीं कहना है तथा उक्त आरोप स्वीकार हैं प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 सितम्बर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(655-L)

#### कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक/प्रभारी अधिकारी,

सहकारी प्रिंटिंग प्रेस मर्या., मुरैना,

तहसील मुरैना, जिला मुरैना.

यह कि सहकारी प्रिंटिंग प्रेस सहकारी संस्था मर्या., मुरैना जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./एम.एन.ए./126, दिनांक 05 अगस्त, 1964

जिसे आगे संस्था कहा गया है के सम्बन्ध में निम्नानुसार आरोप हैं:-

1. संस्था द्वारा पंजीकरण आदेश में दर्शित समयावधि में अपना कार्य करना प्रारम्भ नहीं किया है।
2. संस्था ने कार्य करना बंद कर दिया है।
3. संस्था केवल व्यक्ति विशेष या व्यक्ति समूह शेष के हित सम्बन्धों के लिये कार्य करती है तथा साधारण समस्त सदस्यों के हित सम्बन्धन के लिये कार्य नहीं करती है।
4. संस्था के अधिनियम, नियम तथा संस्था की उपविधि का पालन करना बंद कर दिया है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-बी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मैं, आर. के. वाजपेयी, उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला मुरैना यह कारण बताओ सूचना-पत्र के जरिये सूचित करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था अधिनियम की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जावे।

इस बावत् में दिनांक 12 अक्टूबर, 2015 तक लिखित में ठोस साक्ष्य सहित इस कार्यालय में उत्तर प्रस्तुत करें निर्धारित अवधि में उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो यह मानकर कि इस सम्बन्ध में आपको कुछ नहीं कहना है तथा उक्त आरोप स्वीकार हैं प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 सितम्बर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(655-M)

#### कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक/प्रभारी अधिकारी,

कैलादेवी महिला प्राथ. उप. सह. भण्डार

मर्या., अम्बाह, तहसील अम्बाह, जिला मुरैना.

यह कि कैलादेवी महिला प्राथ. उप. सह. भण्डार सहकारी संस्था मर्या., अम्बाह जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./एम.एन.ए./1131, दिनांक 01 सितम्बर, 1998 जिसे आगे संस्था कहा गया है के सम्बन्ध में निम्नानुसार आरोप हैं:-

1. संस्था द्वारा पंजीकरण आदेश में दर्शित समयावधि में अपना कार्य करना प्रारम्भ नहीं किया है।
2. संस्था ने कार्य करना बंद कर दिया है।
3. संस्था केवल व्यक्ति विशेष या व्यक्ति समूह शेष के हित सम्बन्धों के लिये कार्य करती है तथा साधारण समस्त सदस्यों के हित सम्बन्धन के लिये कार्य नहीं करती है।
4. संस्था के अधिनियम, नियम तथा संस्था की उपविधि का पालन करना बंद कर दिया है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-बी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मैं, आर. के. वाजपेयी, उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला मुरैना यह कारण बताओ सूचना-पत्र के जरिये सूचित करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था अधिनियम की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जावे।

इस बावत् में दिनांक 12 अक्टूबर, 2015 तक लिखित में ठोस साक्ष्य सहित इस कार्यालय में उत्तर प्रस्तुत करें निर्धारित अवधि में उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो यह मानकर कि इस सम्बन्ध में आपको कुछ नहीं कहना है तथा उक्त आरोप स्वीकार हैं प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 सितम्बर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(655-N)

#### कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक/प्रभारी अधिकारी,

मुरैना सहकारी प्रिंटिंग प्रेस मर्या., मुरैना,

तहसील व जिला मुरैना.

यह कि मुरैना सहकारी प्रिंटिंग प्रेस सहकारी संस्था मर्या., मुरैना जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./एम.एन.ए./885, दिनांक 10 अप्रैल, 1989

जिसे आगे संस्था कहा गया है के सम्बन्ध में निम्नानुसार आरोप हैं:-

1. संस्था द्वारा पंजीकरण आदेश में दर्शित समयावधि में अपना कार्य करना प्रारम्भ नहीं किया है.
2. संस्था ने कार्य करना बंद कर दिया है.
3. संस्था केवल व्यक्ति विशेष या व्यक्ति समूह शेष के हित सम्बन्धों के लिये कार्य करती है तथा साधारण समस्त सदस्यों के हित सम्बन्धन के लिये कार्य नहीं करती है.
4. संस्था के अधिनियम, नियम तथा संस्था की उपविधि का पालन करना बंद कर दिया है.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-बी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मैं, आर. के. वाजपेयी, उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला मुरैना यह कारण बताओ सूचना-पत्र के जरिये सूचित करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था अधिनियम की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जावे.

इस बावत् में दिनांक 12 अक्टूबर, 2015 तक लिखित में ठोस साक्ष्य सहित इस कार्यालय में उत्तर प्रस्तुत करें निर्धारित अवधि में उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो यह मानकर कि इस सम्बन्ध में आपको कुछ नहीं कहना है तथा उक्त आरोप स्वीकार हैं प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 सितम्बर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(655-0)

#### कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक/प्रभारी अधिकारी,  
महिला बहु. सहकारी संस्था मर्या., वाबडी अटार,  
तहसील सबलगढ़, जिला मुरैना.

यह कि महिला बहु. सहकारी संस्था मर्या., वाबडी अटार, जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./एम.एन.ए./1291, दिनांक 25 जुलाई, 2006 जिसे आगे संस्था कहा गया है के सम्बन्ध में निम्नानुसार आरोप हैं:-

1. संस्था द्वारा पंजीकरण आदेश में दर्शित समयावधि में अपना कार्य करना प्रारम्भ नहीं किया है.
2. संस्था ने कार्य करना बंद कर दिया है.
3. संस्था केवल व्यक्ति विशेष या व्यक्ति समूह शेष के हित सम्बन्धों के लिये कार्य करती है तथा साधारण समस्त सदस्यों के हित सम्बन्धन के लिये कार्य नहीं करती है.
4. संस्था के अधिनियम, नियम तथा संस्था की उपविधि का पालन करना बंद कर दिया है.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-बी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मैं, आर. के. वाजपेयी, उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला मुरैना यह कारण बताओ सूचना-पत्र के जरिये सूचित करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था अधिनियम की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जावे.

इस बावत् में दिनांक 12 अक्टूबर, 2015 तक लिखित में ठोस साक्ष्य सहित इस कार्यालय में उत्तर प्रस्तुत करें निर्धारित अवधि में उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो यह मानकर कि इस सम्बन्ध में आपको कुछ नहीं कहना है तथा उक्त आरोप स्वीकार हैं प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 सितम्बर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(655-P)

#### कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक/प्रभारी अधिकारी,  
म.प्र. विद्युत कर्मचारी साख सहकारी  
संस्था मर्या. मुरैना, तहसील व जिला मुरैना.

यह कि म.प्र. विद्युत कर्मचारी साख सहकारी संस्था मर्या. मुरैना जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./एम.एन.ए./1114, दिनांक 30 दिसम्बर, 1996



जिसे आगे संस्था कहा गया है के सम्बन्ध में निम्नानुसार आरोप हैं:-

1. संस्था द्वारा पंजीकरण आदेश में दर्शित समयावधि में अपना कार्य करना प्रारम्भ नहीं किया है.
2. संस्था ने कार्य करना बंद कर दिया है.
3. संस्था केवल व्यक्ति विशेष या व्यक्ति समूह शेष के हित सम्बन्धों के लिये कार्य करती है तथा साधारण समस्त सदस्यों के हित सम्बर्धन के लिये कार्य नहीं करती है.
4. संस्था के अधिनियम, नियम तथा संस्था की उपविधि का पालन करना बंद कर दिया है.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-बी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मैं, आर. के. वाजपेयी, उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला मुरैना यह कारण बताओ सूचना-पत्र के जरिये सूचित करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था अधिनियम की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जावे.

इस बावत् में दिनांक 12 अक्टूबर, 2015 तक लिखित में ठोस साक्ष्य सहित इस कार्यालय में उत्तर प्रस्तुत करें निर्धारित अवधि में उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो यह मानकर कि इस सम्बन्ध में आपको कुछ नहीं कहना है तथा उक्त आरोप स्वीकार हैं प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 सितम्बर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(655-Q)

### कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक/प्रभारी अधिकारी,  
नवीन मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या., मुरैना  
तहसील व जिला मुरैना.

यह कि नवीन मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या., मुरैना जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./एम.एन.ए./276, दिनांक 06 अक्टूबर, 1967 जिसे आगे संस्था कहा गया है के सम्बन्ध में निम्नानुसार आरोप हैं:-

1. संस्था द्वारा पंजीकरण आदेश में दर्शित समयावधि में अपना कार्य करना प्रारम्भ नहीं किया है.
2. संस्था ने कार्य करना बंद कर दिया है.
3. संस्था केवल व्यक्ति विशेष या व्यक्ति समूह शेष के हित सम्बन्धों के लिये कार्य करती है तथा साधारण समस्त सदस्यों के हित सम्बर्धन के लिये कार्य नहीं करती है.
4. संस्था के अधिनियम, नियम तथा संस्था की उपविधि का पालन करना बंद कर दिया है.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-बी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मैं, आर. के. वाजपेयी, उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला मुरैना यह कारण बताओ सूचना-पत्र के जरिये सूचित करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था अधिनियम की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जावे.

इस बावत् में दिनांक 12 अक्टूबर, 2015 तक लिखित में ठोस साक्ष्य सहित इस कार्यालय में उत्तर प्रस्तुत करें निर्धारित अवधि में उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो यह मानकर कि इस सम्बन्ध में आपको कुछ नहीं कहना है तथा उक्त आरोप स्वीकार हैं प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 सितम्बर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(655-R)

### कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक/प्रभारी अधिकारी,  
आदर्श चर्म उद्योग सहकारी संस्था  
मर्या., मुरैना, तहसील व जिला मुरैना.

यह कि आदर्श चर्म उद्योग सहकारी संस्था मर्या., मुरैना जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./एम.एन.ए./128, दिनांक 18 सितम्बर, 1964

जिसे आगे संस्था कहा गया है के सम्बन्ध में निम्नानुसार आरोप हैं:-

1. संस्था द्वारा पंजीकरण आदेश में दर्शित समयावधि में अपना कार्य करना प्रारम्भ नहीं किया है.
2. संस्था ने कार्य करना बंद कर दिया है.
3. संस्था केवल व्यक्ति विशेष या व्यक्ति समूह शेष के हित सम्बन्धों के लिये कार्य करती है तथा साधारण समस्त सदस्यों के हित सम्बर्धन के लिये कार्य नहीं करती है.
4. संस्था के अधिनियम, नियम तथा संस्था की उपविधि का पालन करना बंद कर दिया है.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-बी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मैं, आर. के. वाजपेयी, उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला मुरैना यह कारण बताओ सूचना-पत्र के जरिये सूचित करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था अधिनियम की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जावे.

इस बावत् में दिनांक 12 अक्टूबर, 2015 तक लिखित में ठोस साक्ष्य सहित इस कार्यालय में उत्तर प्रस्तुत करें निर्धारित अवधि में उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो यह मानकर कि इस सम्बन्ध में आपको कुछ नहीं कहना है तथा उक्त आरोप स्वीकार हैं प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 सितम्बर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(655-S)

### कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक/प्रभारी अधिकारी,  
गंगापुर तेल उद्योग सहकारी संस्था  
मर्या., सिकरोदा, तहसील व जिला मुरैना.

यह कि गंगापुर तेल उद्योग सहकारी संस्था मर्या., सिकरोदा जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./एम.एन.ए./919, दिनांक 30 सितम्बर, 1989 जिसे आगे संस्था कहा गया है के सम्बन्ध में निम्नानुसार आरोप हैं:-

1. संस्था द्वारा पंजीकरण आदेश में दर्शित समयावधि में अपना कार्य करना प्रारम्भ नहीं किया है.
2. संस्था ने कार्य करना बंद कर दिया है.
3. संस्था केवल व्यक्ति विशेष या व्यक्ति समूह शेष के हित सम्बन्धों के लिये कार्य करती है तथा साधारण समस्त सदस्यों के हित सम्बर्धन के लिये कार्य नहीं करती है.
4. संस्था के अधिनियम, नियम तथा संस्था की उपविधि का पालन करना बंद कर दिया है.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-बी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मैं, आर. के. वाजपेयी, उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला मुरैना यह कारण बताओ सूचना-पत्र के जरिये सूचित करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था अधिनियम की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जावे.

इस बावत् में दिनांक 12 अक्टूबर, 2015 तक लिखित में ठोस साक्ष्य सहित इस कार्यालय में उत्तर प्रस्तुत करें निर्धारित अवधि में उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो यह मानकर कि इस सम्बन्ध में आपको कुछ नहीं कहना है तथा उक्त आरोप स्वीकार हैं प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 सितम्बर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

आर. के. वाजपेयी,  
उप-पंजीयक.

(655-T)



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 52 ]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 25 दिसम्बर 2015-पौष 4, शके 1937

### भाग 3 ( 2 )

#### सांख्यिकीय सूचनाएं

#### कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश

मौसम, फसल एवं पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 26 अगस्त, 2015

1. मौसम एवं वर्षा.—राज्य में इस सप्ताह आकाश मेघाच्छादित रहा है तथा राज्य के अधिकांश जिलों में वर्षा का होना पाया गया है.—

(अ) 0.1 मि. मी. से 17.4 मि. मी. तक.—तहसील पोरसा, मुरैना, संबलगढ़ (मुरैना), अटेर (भिण्ड), गुन्नौर (पन्ना), ल्योंथर, सिरमोर, मरुगंज, हुजूर, गुढ़, रामपुरकचुलियान (रीवा), जैतहरी, अनूपपुर, कोतमा (अनूपपुर), पाली (उमरिया), गोपदबनास, कुसमी, चुरहट, रामपुरनैकिन (सीधी), सुवासरा टप्पा, गरोठ (मंदसौर), जावरा, आलोठ, सैलाना, बाजना, रतलाम (रतलाम), जोवट, अलीराजपुर, कट्टीवाड़ा, उदयगढ़, च. शेखर आजाद नगर (अलीराजपुर), बुरहानपुर, खकनार, नेपानगर (बुरहानपुर), नसरुल्लागंज (सीहोर), रायसेन, बरेली, उदयपुरा (रायसेन), भैंसदेही, चिचोली, आमला (बैतूल), बहोरीबंद (कटनी), कुंडम (जबलपुर), जुन्नारदेव, पांढरना, चांद, चौरई, बिछुआ (छिन्दवाड़ा), केवलारी, छपारा (सिवनी), बैहर, लांजी, कटंगी (बालाघाट) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है।

(ब) 17.5 मि. मी. से 34.9 मि. मी. तक.—तहसील कैलारस (मुरैना), गौरीहार (छतरपुर), पवई (पन्ना), हनुमना (रीवा), बांधवगढ़ (उमरिया), सिहावल (सीधी), घोड़ाडोंगरी, शाहपुर (बैतूल), जबलपुर (जबलपुर), सोंसर (छिन्दवाड़ा) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है।

(स) 35.0 मि. मी. से 53.1 मि. मी. तक.—तहसील अजयगढ़ (पन्ना), बरघाट (सिवनी), बालाघाट (बालाघाट) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है।

(द) 53.2 मि. मी. से 244.9 मि. मी. तक.—तहसील बैतूल, आठनेर (बैतूल), वारासिवनी (बालाघाट) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है।

2. जुताई.—जिला ग्वालियर, दतिया, दमोह, रीवा, उमरिया, जबलपुर व सिवनी में धान की रोपाई व जुताई का कार्य कहीं-कहीं चालू है।

3. बोनी.—जिला पन्ना, रीवा, उमरिया, जबलपुर में खरीफ फसलों की बोनी का कार्य कहीं-कहीं चालू है।

4. फसल स्थिति.—

**5. कटाई.—**

6. सिंचाई.—जिला ग्वालियर, दतिया, टीकमगढ़, सागर, दमोह, अनूपपुर, उमरिया, बड़वानी, जबलपुर में सिंचाई हेतु पानी कहीं-कहीं अपर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

7. पशुओं की स्थिति.—राज्य के प्रायः सभी जिलों में पशुओं की स्थिति संतोषप्रद है.

8. चारा.—राज्य के प्रायः सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

9. बीज.—राज्य के प्रायः सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

10. खेतिहर श्रमिक.—राज्य के प्रायः सभी जिलों में खेतिहर श्रमिक पर्याप्त संख्या व उचित दर पर उपलब्ध हैं.

## मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 26 अगस्त, 2015

जिला/तहसीलें	1. सप्ताह में हुई वर्षा:- (अ) वर्षा का माप (मि. मी.) में (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव:- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर. (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर, रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में :- (1) फसल का क्षेत्रफल - (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई. (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी (कम अथवा अधिक). 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि-सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
1	2	3	4	5	6
<b>जिला मुरैना :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. अम्बाह	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पोरसा	4.0		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. मुरैना	4.2				
4. जौरा	..				
5. सबलगढ़	6.0				
6. कैलारस	20.0				
<b>जिला श्योपुर :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व रोपाई का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. श्योपुर	..		4. (1) धान, बाजरा, ज्वार, तिल, तुअर, उड़द, मूँग.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. कराहल	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. विजयपुर	..				
<b>जिला भिण्ड :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. अटेर	8.0		4. (1) ज्वार, बाजरा, तिल.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. भिण्ड	3.0		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. गोहद	..				
4. मेहगांव	..				
5. लहार	..				
6. मिहोना	..				
7. रौन	..				
<b>जिला ग्वालियर :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. ग्वालियर	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. डबरा	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. भितरवार	..				
4. घाटीगांव	..				
<b>जिला दतिया :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सेवदा	..		4. (1) गन्ना, मूँगफली तिल.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. दतिया	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. भाण्डेर	..				
<b>जिला शिवपुरी :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. शिवपुरी	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पिछोर	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. खनियाधाना	..				
4. नरवर	..				
5. करैरा	..				
6. कोलारस	..				
7. पोहरी	..				
8. बदरवास	..				

1	2	3	4	5	6
<b>जिला अशोकनगर :</b>	मिलीमीटर	2. ...	3. ... 4. (1) सोयाबीन, मक्का, गन्ना अधिक. उड़द कम. (2) ...	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. ... 8. पर्याप्त.
1. मुँगावली	..				
2. ईसागढ़	..				
3. अशोकनगर	..				
4. चन्देरी	..				
5. शाढौरा	..				
<b>जिला गुना :</b>	मिलीमीटर	2. ...	3. ... 4. (1) सोयाबीन, मक्का, उड़द समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. गुना	..				
2. राघोगढ़	..				
3. बमोरी	..				
4. आरोन	..				
5. चाचौड़ा	..				
6. कुम्भराज	..				
<b>जिला टीकमगढ़ :</b>	मिलीमीटर	2. ...	3. ... 4. (1) धान, उर्दा, मूंग, मूंगफली, सोयाबीन, बिगड़ी हुई. ज्वार, मक्का, तिली, गन्ना समान. (2) ...	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. निवाड़ी	..				
2. पृथ्वीपुर	..				
3. जतारा	..				
4. टीकमगढ़	..				
5. बल्देवगढ़	..				
6. पलेरा	..				
7. ओरछा	..				
<b>जिला छतरपुर :</b>	मिलीमीटर	2. ...	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) तिल अधिक. तुअर कम. (2) ...	5. ... 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. ...
1. लवकुशनगर	..				
2. गौरीहार	18.0				
3. नौगांव	..				
4. छतरपुर	..				
5. राजनगर	..				
6. बिजावर	..				
7. बड़ामलहरा	..				
8. बकस्वाहा	..				
<b>जिला पन्ना :</b>	मिलीमीटर	2. खरीफ फसलों की बोनी का कार्य चालू हैं..	3. ... 4. (1) धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, तुअर, उड़द, मूंग, सोयाबीन तिल. (2) ...	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. ... 8. पर्याप्त.
1. अजयगढ़	39.0				
2. पन्ना	..				
3. गुन्नौर	12.0				
4. पवई	23.0				
5. शाहनगर	..				
<b>जिला सागर :</b>	मिलीमीटर	2. ...	3. ... 4. (1) धान, मक्का, उड़द, मूंग, अरहर, तिल, मूंगफली, सोयाबीन समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बीना	..				
2. खुरई	..				
3. बण्डा	..				
4. सागर	..				
5. रेहली	..				
6. देवरी	..				
7. गढ़ाकोटा	..				
8. राहतगढ़	..				
9. केसली	..				
10. मालथोन	..				
11. शाहगढ़	..				

1	2	3	4	5	6
<b>जिला दमोह :</b>	मिलीमीटर	2. धान रोपाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) ज्वार, सोयाबीन, उड़द, तुअर, मूंग, गन्ना, धान, तिल. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. हटा	..				
2. बटियागढ़	..				
3. दमोह	..				
4. पथरिया	..				
5. जवेरा	..				
6. तेन्दूखेड़ा	..				
7. पटेरा	..				
<b>जिला सतना :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. रघुराजनगर	..				
2. मझगवां	..				
3. रामपुर-बधेलान	..				
4. नागौद	..				
5. उचेहरा	..				
6. अमरपाटन	..				
7. रामनगर	..				
8. मैहर	..				
9. बिरसिंहपुर	..				
<b>जिला रिवा :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व रोपाई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) सोयाबीन, उड़द, मूंग अधिक. धान, कम. तुअर समान. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. त्यौंथर	5.0				
2. सिरमौर	4.2				
3. मऊगंज	5.6				
4. हनुमना	18.2				
5. हुजूर	5.0				
6. गुढ़	5.0				
7. रायपुरकचुलियान	15.0				
<b>*जिला शहडोल :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. सोहागपुर	..				
2. ब्यौहारी	..				
3. जैसिंहनगर	..				
4. जैतपुर	..				
<b>जिला अनूपपुर :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) धान, तुअर, कोदों-कुटकी कम. मक्का, सोयाबीन, तिल समान. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. जैतहरी	1.8				
2. अनूपपुर	1.2				
3. कोतमा	6.9				
4. पुष्पराजगढ़	..				
<b>जिला उमरिया :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई एवं रोपाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) मक्का, तिल, बाजरा अधिक. धान, ज्वार कोदों-कुटकी, उड़द, तुअर कम. मूंग, मूंगफली समान. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बांधवगढ़	32.3				
2. पाली	7.0				
3. मानपुर	..				

1	2	3	4	5	6
<b>जिला सीधी :</b>	मिलीमीटर	2.	3. कोई घटना नहीं.	5. . .	7. . .
1. गोपदवनास	1.6	2. जुताई एवं बोनी व धान की रोपाई का कार्य चालू है.	4. (1) धान, तुअर, तिल, कम. उड़द, मूँग, ज्वार, मक्का समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सिहावल	29.0		(2) . . .		
3. मझौली	36.8				
4. कुसमी	7.0				
5. चुरहट	10.4				
6. रामपुरनैकिन	11.4				
<b>जिला सिंगरौली :</b>	मिलीमीटर	2.	3. कोई घटना नहीं.	5. . .	7. . .
1. चितरंगी	. .	. .	4. (1) . . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. देवसर	. .	. .	(2) . . .		
3. सिंगरौली	. .	. .			
<b>जिला मन्दसौर :</b>	मिलीमीटर	2.	3. . .	5. . .	7. . .
1. सुवासरा-टप्पा	5.0	. .	4. (1) सोयाबीन अधिक. मक्का कम.	6. संतोषप्रद, . .	8. पर्याप्त.
2. भानपुरा	. .	. .	(2) . . .		
3. मल्हारगढ़	. .	. .			
4. गरोठ	8.0	. .			
5. मन्दसौर	. .	. .			
6. श्यामगढ़	. .	. .			
7. सीतामऊ	. .	. .			
8. धुन्धड़का	. .	. .			
9. संजीत	. .	. .			
10. कयामपुर	. .	. .			
<b>जिला नीमच :</b>	मिलीमीटर	2.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जावद	. .	. .	4. (1) सोयाबीन, मक्का अधिक. तिल, तुअर, मूँगफली कम. उड़द समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. नीमच	. .	. .	(2) . . .		
3. मनासा	. .	. .			
<b>जिला रतलाम :</b>	मिलीमीटर	2.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जावरा	2.0	. .	4. (1) सोयाबीन, मक्का, कपास समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. आलोट	1.0	. .	(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. सैलाना	4.0	. .			
4. बाजना	1.0	. .			
5. पिपलौदा	. .	. .			
6. रतलाम	1.8	. .			
<b>जिला उज्जैन :</b>	मिलीमीटर	2.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. खाचरौद	. .	. .	4. (1) सोयाबीन, मक्का.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. महिदपुर	. .	. .	(2) . . .		
3. तराना	. .	. .			
4. घटिया	. .	. .			
5. उज्जैन	. .	. .			
6. बड़नगर	. .	. .			
7. नागदा	. .	. .			
<b>जिला आगर :</b>	मिलीमीटर	2.	3. . .	5. . .	7. . .
1. बड़ौद	. .	. .	4. (1) सोयाबीन, मक्का, ज्वार.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सुसनेर	. .	. .	(2) . . .		
3. नलखेड़ा	. .	. .			
4. आगर	. .	. .			
<b>जिला शाजापुर :</b>	मिलीमीटर	2.	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. मो. बड़ोदिया	. .	. .	4. (1) सोयाबीन, मक्का, तुअर, उड़द, मूँग समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. शाजापुर	. .	. .	(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. शुजालपुर	. .	. .			
4. कालापीपल	. .	. .			
5. गुलाना	. .	. .			



1	2	3	4	5	6
<b>*जिला देवास :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. सोनकच्छ	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. टोंकखुर्द	..		(2) ..		
3. देवास	..				
4. बागली	..				
5. कन्नौद	..				
6. खातेगांव	..				
<b>जिला झाबुआ :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. ..
1. थांदला	..		4. (1) मक्का, सोयाबीन अधिक. उड़द, धान कम. कपास, मूँगफली, समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. मेघनगर	..		(2) ..		
3. पेटलावद	..				
4. झाबुआ	..				
5. राणापुर	..				
<b>जिला अलीराजपुर :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जोवट	9.6		4. (1) मक्का, ज्वार, बाजरा उड़द, मूँगफली, सोयाबीन, कपास, तुअर अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. अलीराजपुर	9.4		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. कट्टीवाड़ा	3.0				
4. सोण्डवा	..				
5. उदयगढ़	2.0				
6. च.शे.आ. नगर	3.4				
<b>जिला धार :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. ..
1. बदनावर	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सरदारपुर	..		(2) ..		
3. धार	..				
4. कुक्षी	..				
5. मनावर	..				
6. धरमपुरी	..				
7. गंधवानी	..				
8. डही	..				
<b>जिला इन्दौर :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. देपालपुर	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सांवेर	..		(2) ..		
3. इन्दौर	..				
4. महू	..				
(डॉ. अम्बेडकरनगर)					
<b>जिला खरगौन :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वाह	..		4. (1) मक्का, बाजरा, कपास, मूँगफली, अलसी, राई-सरसों अधिक. ज्वार, धान, तुअर, गेहूँ, चना कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. महेश्वर	..		(2) ..		
3. सेगांव	..				
4. खरगौन	..				
5. गोगावां	..				
6. कसरावद	..				
7. भगवानपुरा	..				
8. भीकनगांव	..				
9. झिरन्या	..				

1	2	3	4	5	6
<b>जिला बड़वानी :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वानी	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. ..
2. ठीकरी	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. राजपुर	..				
4. सेंधवा	..				
5. पानसेमल	..				
6. पाटी	..				
7. निवाली	..				
<b>जिला खण्डवा :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. ..
1. खण्डवा	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पंधाना	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. हरसूद	..				
<b>जिला बुरहानपुर :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बुरहानपुर	3.16		4. (1) कपास, मूंगफली.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खकनार	5.0		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. नेपानगर	1.0				
<b>*जिला राजगढ़ :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. जीरापुर	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. खिलचीपुर	..		(2) ..		
3. राजगढ़	..				
4. ब्यावरा	..				
5. सारंगपुर	..				
6. पचोर	..				
7. नरसिंहगढ़	..				
<b>जिला विदिशा :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. लटेरी	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिरोंज	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. कुरवाई	..				
4. बासौदा	..				
5. नटेरन	..				
6. विदिशा	..				
7. गुलाबगंज	..				
8. ग्यारसपुर	..				
<b>जिला भोपाल :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बैरसिया	..		4. (1) सोयाबीन, मूंग, मक्का, तुअर, धान,	6. संतोषप्रद.	8. पर्याप्त.
2. बैरागढ़	..		ज्वार, मूंगफली अधिक.	चारा पर्याप्त.	
			(2) ..		
<b>जिला सीहोर :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. ..
1. सीहोर	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद.	8. पर्याप्त.
2. आष्टा	..		(2) ..	..	
3. इछावर	..				
4. नसरुल्लागंज	3.0				
5. बुधनी	..				

1	2	3	4	5	6
<b>जिला रायसेन :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. रायसेन	1.0		4. (1) धान, ज्वार, मक्का, कोदों-कुटकी, अरहर, मूंग, उड़द, सोयाबीन, मूंगफली तिल.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. गैरतगंज	..		(2) . .		
3. बेगमगंज	..				
4. गौहरगंज	..				
5. बरेली	13.0				
6. सिलवानी	..				
7. बाड़ी	..				
8. उदयपुरा	2.0				
<b>जिला बैतूल :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. भैंसदेही	5.6		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. . .
2. घोडाडोंगरी	26.2		(2) . .		
3. शाहपुर	21.4				
4. चिचोली	2.5				
5. बैतूल	65.9				
6. मुलताई	..				
7. आठनेर	58.1				
8. आमला	16.0				
<b>*जिला होशंगाबाद :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. सिवनी-मालवा	..		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. होशंगाबाद	..		(2) . .		
3. बावई	..				
4. इटारसी	..				
5. सोहागपुर	..				
6. पिपरिया	..				
7. वनखेड़ी	..				
8. पचमढ़ी	..				
<b>जिला हरदा :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हरदा	..		4. (1) सोयाबीन.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. खिड़किया	..		(2) . .		
3. टिमरनी	..				
<b>जिला जबलपुर :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई व रोपाई का कार्य चालू है.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सीहोरा	..		4. (1) तिल.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पाटन	..		(2) . .		
3. जबलपुर	20.8				
4. मझौली	..				
5. कुण्डम	4.0				
<b>जिला कटनी :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. कटनी	..		4. (1) धान, तिल, तुअर, कोदों, मक्का, ज्वार, मूंग, उड़द.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. रीठी	..		(2) . .		
3. विजयराघवगढ़	..				
4. बहोरीबंद	2.8				
5. ढीमरखेड़ा	..				
6. बडवारा	..				
7. बरही	..				

1	2	3	4	5	6
<b>जिला नरसिंहपुर :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. गाडरवारा	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. करेली	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. नरसिंहपुर	..				
4. मोटेगांव	..				
5. तेन्दूखेड़ा	..				
<b>जिला मण्डला :</b>	मिलीमीटर	2. ...	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवास	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. बिछिया	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. नैनपुर	..				
4. मण्डला	..				
5. घुघरी	..				
6. नारायणगंज	..				
<b>*जिला डिण्डोरी :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. डिण्डोरी	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. बजाग	..		(2) ..		
3. शाहपुरा	..				
<b>जिला छिन्दवाड़ा :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. छिन्दवाड़ा	..		4. (1) मक्का, धान अधिक. सोयाबीन कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. जुन्नारदेव	2.2		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. परासिया	..				
4. जामई (तामिया)	..				
5. सोंसर	22.6				
6. पांडुर्णा	10.3				
7. चांद	0.4				
8. अमरवाड़ा	..				
9. चौरई	12.8				
10. बिछुआ	1.1				
11. हरई	..				
12. मोहखेड़ा	..				
<b>जिला सिवनी :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सिवनी	..		4. (1) धान, ज्वार, कोदों-कुटकी, मक्का,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. केवलारी	14.0		तुअर, उड़द, मूँग, मूँगफली, तिल,	चारा पर्याप्त.	
3. लखनादौन	..		सोयाबीन, सन, गन्ना.		
4. बरघाट	44.0		(2) ..		
5. कुरई	..				
6. घंसौर	..				
7. घनोरा	..				
8. छपारा	1.3				
<b>जिला बालाघाट :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बालाघाट	49.0		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. लाँजी	5.3		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. बैहर	9.0				
4. वारासिवनी	79.7				
5. कटंगी	14.4				
6. किरनापुर	..				

टीप.— \*जिला शहडोल, देवास, राजगढ़, होशंगाबाद, डिण्डोरी से पत्रक अप्राप्त रहे हैं.

राजीव रंजन,

आयुक्त,

भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश.

(649)